Central Administrative tribunal

Lucknow Bench

Cause Title T.A. 115/92 1993

Name of the Parties Tika Ram .... Applicant

U.O.I. .... Respondents

Part A.B.C.

Sl. No.	Description of Documents	Page
1.	Check List	
2.	Order Sheet	A-1 to A-5
3.	Final Judgement	A-6 to A-9
4.	Petition Copy	A-10 to A-18
5.	Annexure	A-19 to A-58
6.	Power	A-59
7.	Counter Affidavit	A-22 to A-2[illegible]
8.	Rejoinder Affidavit	A-60 to A-6[illegible]

B- File — B-1 to B-16

C- File — C-1 & C-2

(14)

(A-1)

ORDER SHEET

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

ALLAHABAD

Reg NO. 452 (T) OF 1986

Tika Ram VS. Union of India

SL NO of order	Date of order	ORDERS WITH SIGNATURE	Office Notes as to action (if any) taken on order
	5/9/86	Lawyers are on strike today. The case is adjourned to 15-10-86. B.O.C. [signature] 5/9	Office Report This is a civil suit No. 332/83 Transferred from the court of Munsif Sitapur
	22.10.86	No Sitting. Adjourned for 12.12.86. [signature] BOC	Notices were issued fixing 5.9.86 by RPAD. both the Parties Notices has not received back after service. W.S. has been filed. Submitted [initials]
	12-12-86	Hon. D.S. Misra — AM. Hon. G.S. Sharma — JM. Sri K.C. Sinha for defendant is present. On the application of plaintiff's counsel, the case is adjourned to 10-2-87 for hearing. [signature] AM. [signature] JM.	Sri G.P. Yadav, Adv. for Tikaram. Power filed. [signature] 5/9
	10-2-87	Hon. D.S. Misra — AM. Hon. G.S. Sharma — JM. On the plaintiff's application the case is adjourned to 5/5/87 for hearing. [signature] AM. [signature] JM.	OR In compliance of court order dt. 22.10.86 the case is submitted for hearing. [initials] 10.12.86

ORDER SHEET

T. A. 452/1986

(A2)

23.11.1987 Hon. D.S. Misra, AM
Hon. G.S. Sharma, JM

A application has been filed on behalf of the plaintiff and he requests for adjournment. The case is adjourned to 9.2.1988 for hearing.

AM JM

25.XI.1987

9.2.88. Hon. D. S. Misra (AM)
Hon. G. S. Sharma (JM)

No one present for the parties ~~On the application of the respondents~~ Sri Tika Ram the case is adjourned to 25.4.88.

AM JM.

Due to the application of counsel for the applicants the case is adjourned to 25.4.88.

AM JM.

452/88

(A3)

14-11-88 No sitting due to holiday. Adjourned to 9-12-88

9.12.88. No Sitting Adjn to 24-2-89.

24-2-89. No Sitting Adjn to 07.4.89 for hearing.

7.4.89. No Sitting Adjn to 28.7.89 for hearing.

28.7.89. No Sitting Adjn to 24.11.89 for hearing.

27.11.89 No sitting on 24.11.89 due to election holiday, the case is adjourned to 13/3/90 for hearing.

Hon'ble Mr. K.J. Raman, A.M.
Hon'ble Mr. J.P. Sharma, J.M.

13/3/90 None appears for the plaintiff. Shri K.C. Sinha is present on behalf of respondents. One more opportunity is given to the plaintiff to appear. The case be listed for hearing on 2-5-90. No further postponment will be allowed.

J.M. (SNS)

A.M.

TA 452/86
(OS 332/83) A-4

7-5-91 Hon. K. Obayya - AM
Hon S.N. Prasad - JM

Cases of Shri K.C. Sinha are adjourned upto 24-5-91.
List for hearing on 22-8-91.

JM

AM

22-8-91 No sitting. Adjourned to 8-11-91 for hearing.

Sushma
CM/R

8-11-91 Hon K. Obayya - AM

Lawyers are on strike. Adjourned to 9-12-91 for hearing.

Sushma

9.12.91 No sitting. Adjourned to 3-2-92 for hearing.

The case relates to territorial jurisdiction of Lucknow Bench, hence is being transferred to Lucknow Bench vide Hon'ble V.C.'s order dated 18-12-91

S.O.(J)

A-5

T.A.No.452/86

(T.A.No.115/92 T)

C.W. T.A.No.457/90

19/4/94 Hon.Mr.Justice U.C.Srivastava, V.C.
Hon.Mr. V.K.Seth, A.M.

The case is being disposed of after hearing the Counsels for the parties as the pleadings are complete. Judgement has been dictated in the open Court.

(tgk) A.M. V.C.

A8

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL(LUCKNOW BENCH) LUCKNOW.

O.A.No. XXXX

T.A. No. 452/86 (TA No.115/92 T)
C.W. No. T.A. 457/90)

Date of decision 19/4/93

Tika Ram .... Petitioner

- .... Advocate for petitioner

Versus

......Union of India & Others...... Respondents

Shri K.C.Sinha .... Advocate for respondents

****

CORAM :-

The Hon'ble Mr. Justice U.C.Srivastava, V.C.

The Hon'ble Mr. V.K.Seth, A.M.

1. Whether Reporters of local papers may be allowed to see the judgement ? N

2. To be referred to the Reporter or not ? N

3. Whether their Lordships wish to see the fair copy of the judgement ? N

4. Whether to be circulated to all other Benches ? N

Signature

A-8

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
LUCKNOW BENCH
LUCKNOW.

T.A.No.452/86
(T.A.No.115/92 T)
connected with T.A.457/90)

Tika Ram :::::::: Applicant

Vs.

Union of India &
Others. :::::::: Respondents.

Hon.Mr.Justice U.C.Srivastava,V.C.
Hon.Mr. V.K. Seth, A.M.

(By Hon. Mr. Justice U.C.Srivastava,V.C.)

This is a transfer application under section 29 of the Administrative Tribunals Act, 1985. The applicant has filed a Suit before the Munsif, Sitapur, in the year 1984 praying for grant of a declaration in his favour that the order dated 23-7-83 be declared to be illegal and void and that the applicant is entitled to the entire salary and other service benefits. The applicant has further prayed that the respondents be directed not to recover the amount of Rs.2987.50 from him. The applicant was working in Sitapur Post Office who was served with a charge memo on 17-3-83 to the effect that on 1-9-76 when he was working in Sitapur Post Office as clerk he did not call for verification of a particular S.B.Account No. with the result the department was put to loss of Rs.6675/-. The further charge against the applicant was that in case the applicant could have summoned the said pass book, the embezzlement committed by the Post Master could have been brought to the notice

W

...2

A-8

of the authorities concerned in time and the embeszlement could have been avoided. Thus he has committed an act which is in violation of certain provisions of the Postal Manual which have been enumerated in the charge sheet.

3. On receipt of the charge sheet the applicant asked for certain documents, but the applicant was not allowed to see the required documents. The applicant again requested for inspection of the said documents but his request was not allowed, and he was directed to file his reply within 10 days. According to the applicant when the inspection of the said documents was not allowed, it was not possible for him to submit his written statement. Therefore, the written statement could not be filed. Thereafter the impugned order was passed against the applicant.

4. The respondents have pointed out that it was not necessary to show the said documents and since the applicant did not submit the written statement, there was no option for the respondents but to pass the impugned order. Even if the applicant was desirous of inspecting certain documents he could have first filed the written statement and thereafter he could have made a prayer for inspection of the said documents. Therefore, there was no option for the respondents, but to proceed exparte against him. It was a case against embeszlement and the penalty could have been decided otherwise also if the applicant could have co-operated with the department by filing written statement. The loss suffered by the department is Rs.6000/-and odd. It appears that the

liability was apportioned as provided in para 107 of the P & T Manual and the applicant was made liable to pay this particular amount only. Therefore, we do not see any merit in interfering with the punishment so awarded to the applicant as he did not avail the opportunity given to him. Accordingly this application is dismissed. No order as to the costs.

Member (A) Vice-Chairman.

Dated: 19th April, 1993, Lucknow.

(tgk)

A-10

২০৭

[illegible] ,322/83

[illegible]

Examined and Found correct.

Dy. [illegible] Distt. Judge's Court [illegible]

1	[illegible]		1	2	1.50	
2	[illegible]		1	2	125.00	21-5-84
3	[illegible]		1+3	—	—	25-5-84
4	[illegible]		1	—	—	
5	[illegible]		1	2	1.50	
6	[illegible]		1	2	1.50	
	[illegible]		2	—	—	
7	[illegible]		2	—	—	
8	[illegible]		2	2	[illegible]	
9	[illegible]		1	—	—	18-8-83
10	[illegible]		1	—	—	4
11	[illegible]		2	—	—	25.8.83
12	[illegible]		1+3	—	—	5.10.83
13	[illegible]		1	3	1.50	5.10.83
14	[illegible]		1	—	—	8-11.83
15	[illegible]		1	—	—	2-2-84
16	[illegible]		1	—	—	29-3-84
17	[illegible]		2	—	—	3-5-84
18	[illegible]		1	—	—	8-5-84
	[illegible]		1	—	—	

[illegible]

আপীল ৩২২/৪৩

[illegible]

A-11

[illegible]

২৭.৭.৮৬

২৬ লিখিত জবাব [illegible] ২ – – –

INDIA COURT FEE 60 Rs.

साठ रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

60 RS.

SIXTY RUPEES

10 Rs. COURT FEE INDIA TEN RUPEES

4 Rs. COURT FEE INDIA FOUR RUPEES

4 Rs. COURT FEE INDIA FOUR RUPEES

श्रीमान जज महोदय सीतापुर

टीकाराम —————— वादी

कृष्णचन्द्र आदि —————— प्रतिवादीगण

Shri Shankar Lal
Advocate
7/2/83

INDIA COURT FEE 60 Rs.

CANCELLED

Date ....

भारत

INDIA

SIXTY RUPEES

60RS

S.S.

न्यायालय श्रीमान मुन्सिफ महोदय, सीतापुर।

दीवानी मुकदमा नं0 सन 83

टीकाराम पुत्र श्री वैजनाथ प्रसाद निवासी हैमपुरवा, परगना तहसील व जिला सीतापुर।

वादी

बनाम

1-यूनियन आफ इन्डिया द्वारा सैक्रेटरी कम्युनिकेशन डिपार्टमैन्ट नई दिल्ली

2- पी0मास्टर जनरल यू0पी0सर्किल लखनऊ

3- डाइरैक्टर पोस्टल सरविसेज लखनऊ

4- सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पोस्ट आफिसेज सीतापुर डिवीजन सीतापुर।

प्रतिवादीगण

वाद घोषणात्मक एवम् स्थायी प्रतिबन्ध

श्रीमान जी,

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-

धारा।1। यह कि वादी प्रधान डाकघर सीतापुर मे स्थायी लिपिक के पद पर कार्यरत है। उसका कार्य इस विभाग मे सदैव सन्तोषजनक रहा। वादी ने सदैव मेहनत व ईमानदारी से विभाग मे कार्य किया है और समय समय पर विभाग ने वादी को इसके लिये पुरुस्कृत भी किया है।

धारा।2। यह कि सन 1983 ई0 मे प्रतिवादी नं0 4 ने एक ज्ञापन मैमो नं0 एफ-1।77-78 तारीखी 17-3-83 मय अवचारों तथा सदाचारों का विवरण के साथ वादी को प्रेषित किया जिसमे वादी पर प्रतिवादी नं0 4 ने यह आरोप लगाया कि वादी ने दिनांक 1-9-76 को लैजर क्लर्क प्रथम सीतापुर प्रधान डाक घर के स्थान पर जब कार्य किया था तब वह सैविंग बैंक पासबुक एकाउन्ट नं0 1501184 के बैलैन्स की जांच हेतु मंगाने मे असमर्थ रहा जिस से डिपार्टमैन्ट को 6675) रुपये का नुकसान हुआ। यह भी आरोप लगाया गया कि यदि वादी ने उपरलिखित एकाउन्ट

(कृपया पृष्ठ उलटिये)

नम्बर की पास वुक मंगायी होती तो शाखा डाकपाल थानगांव द्वारा किये गये गबन जल्दी प्रकाश मे आ जाते। और सरकारी धन का गबन न होता। इस आधार पर प्रतिवादी नं0 4 ने वादी को सी0सी0एस0 (सी0सी0ए0) कन्डक्ट रूल्स 1965 के नियम3(1)(2)एवम् पी0एन्ड टी0 मैनुअल वाल्यम 6 पार्ट सैकेन्ड के नियम 452(5) के पालन न करने का दोषी ठहराया और वादी पर मुबलिग 2987-50 पैसे की वसूली के आदेश अपनी मैमो नं0 एफ-1177-78 तारीख 23-7-83 जारी करके पारित कर दिये।

धारा।3। यह कि उपरोक्त ज्ञापन के प्राप्त होने पर वचाव के लिये वादी ने प्रतिवादी नम्बर चार से सम्बन्धित वाउचरों, स्पेशल एरर वुक और एस0वी0स्लिप निरीक्षण हेतु दिखाने को कहा जिस से वादी सही जवाब दे सकें। परन्तु प्रतिवादी नं0 4 ने वादी को केवल लेजर कार्ड और स्पेशल एरर वुक को दिखायी। तथा वारन्ट आफ पैमेन्ट पासवुक, एस0बी0 स्लिप नहीं दिखाये गये। प्रतिवादी नं0 4 ने वादी से पुन: अपना जवाब देने को कहा तब वादी नेदिनांक 3-5-83 को प्रतिवादी नं0 4 से सम्बन्धित वारन्ट आफ पैमेन्ट, एस0वी0स्लिप और पास वुक निरीक्षण कराने के लिये पत्र लिखाथा। इस पत्र के जवाब मे प्रतिवादी ने वादी को उपरोक्त डाकूमेन्ट दिखाने से इनकार कर दिया और तुरन्त सफाइ दस दिन के अन्दर देने के आदेश दिये।

धारा।4। यह कि बिना सभी सम्बन्धित डाकूमेन्टस का निरीक्षण किये वादी अपनी सफाई प्रतिवादी नं0 4 को प्रस्तुत करने मे असमर्थ रहा। परन्तु इस पर विना गौर किये प्रतिवादी नं0 4 ने अपने आदेश वावत वसूली दिनांक 23-7-83 को पारित कर दिये।

धारा।5। यह कि वसूली का आदेश पारित करने के पूर्व वादी को प्रतिवादी नं0 4 ने वचाव हेतु युक्ति युक्त अवसर प्रदान नहीं किया है और कोयी जांच भी इस सम्बन्ध मे नहीं करायी। सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान मे रखे वगैर यह वसूली का आदेश पारित किया है।

धारा।6। यह कि शाखा डाकपाल थानगांव ने स्वयम् कथित 6675) रुपया का गबन किया है और प्रतिवादी नं0 4 को यह गबन की धनराशि शाखा डाकपाल थानगांव से ही वसूलना न्यायोजित है।

धारा।7। यह कि शाखा डाकपाल थानगांव उप डाक घर रेउसा के अधीन शाखा डाकघर था और उप डाकपाल रेउसा इस डाकघर के एमीजियेट सुपरवाइजर थे। यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वे थानगांव डाक घर के शाखा डाकपाल से सेविंग पास बुकों को मंगा कर उनकी जांच करते और यदि कोयी गलती पायी जाती या व्याज लगाना होता तो उन्हे प्रधान डाक घर को जांच हेतु या व्याज लगाने के लिये भेजते।

धारा।8। यह कि दिनांक 1-9-76 को लेजर क्लर्क प्रथम श्री राजपाल ने कैजुअल लीव ली थी तब पोस्ट मास्टर सीतापुर ने वादी को विना सम्पूर्ण ब्रान्च का चार्ज दिलाये या दिये लेजर क्लर्क प्रथम के स्थान पर केवल एक दिन के लिए कार्य करने का आदेश दिया था। वादी ने उस दिन अपने अनुभव और योग्यता के अनुसार जितनी मेहनत से कार्य सम्भव था वह किया था और सतर्क सावधानी से कार्य मे कोयी लापरवाही नही की थी।

धारा।9। यह कि उस दिन वादी ने एकाउन्ट नं01501184 की पास बुक भी उप डाकपाल रेउसा से मांगी थी। परन्तु वादी को नुकसान पहुचाने की नियत से प्रतिवादी नं0 4 ने वादी की गलती मानते हुये एवम् विना सारी परिस्थितियों का अवलोकन किये वसूली का आदेश पारित किया।

धारा।10। यह कि वादी लेजर क्लर्क प्रथम अवश्य था परन्तु उसके कार्य का सुपरवीजन तत्कालीन असिसटैन्ट पोस्ट मास्टर श्री जे0पी0मिश्रा करते थे और उन्ही के निरदेशानुसार वादी ने उस दिन ब्रान्च का सारा कार्य किया था। अतएव वादी की किसी किस्म की नेगलीजेन्स उस दिन नही रही। यदि कोई नेगलीजेन्स थी तो श्री जे0पी0मिश्रा सुपरवाइजर महोदय को उसी दिन वादी से वताना चाहिये था ताकि वादी उन त्रुटियों को उस दिन दूर कर सकता।

धारा।11। यह कि शाखा डाकघरो को समय समय पर चैक करने के लिये ओवरसियरो एवम् डाक निरीक्षकों की नियुक्ति विभाग द्वारा की गयी है जिनकी ड्यूटी डाकघरो की चैकिंग है। स्वयं प्रतिवादी नं0 4 भी डाक घरो की चैकिंग करता है। परन्तु प्रतिवादी नं0 4 अपनी जुम्मेदारी से वचने के लिये वादी पर गलत आरोप लगा कर यह वसूली का आदेश पारित किया है।

धारा।12। यह कि गबन के अन्वेषण मे प्रतिवादी नं0 4 द्वारा काफी देरी की

गयी है और प्रतिवादी नं० 4 ने शाखा डाकपाल थानगांव से गबन की वसूली न करके कानून की अवहेलना की है।

धारा।13। यह कि प्रतिवादी नम्बर 4 ने वादी के विरुद्ध रिकवरी का आदेश पारित करने में बहुत सी अनियमिततायें बरती हैं। रिकवरी का आदेश टाइमवार्ड है और प्रतिवादी नं० 4 को इतने अरसे बाद उक्त धनराशि के वसूलने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

धारा।14। यह कि प्रतिवादी नं० 4 द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवम् प्रभाव शून्य है।

धारा।15। यह कि प्रतिवादी नं० 2 ता 4 इस वाद में आवश्यक फरीक है। इस कारण उन्हें फरीक बनाया जाता है।

धारा।16। यह कि प्रतिवादी नं० 4 ने वादी के वेतन से 100) रुपया प्रति मास की दर से वसूली के आदेश पारित कर दिये हैं। यदि वादी धारा 80 जा०दी० की नोटिस देने के पश्चात वाद प्रस्तुत करता है तो वादी को गम्भीर क्षति पहुंचेगी और नेचर आफ सूट में तब्दीली आ जायेगी। फौरी सहाय प्राप्त करने के लिये वादी ने धारा 80(2) जा०दी० के अन्तर्गत एक्जम्सन का प्रार्थना पत्र पृथक दिया है जो कि इस वाद पत्र के साथ संलग्न किया जाता है।

धारा।17। यह कि वाद का कारण वादी को विरुद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 23-7-83 जिस दिन प्रति०नं० 4 ने वादी पर मुबलिग 2987-50 पै० की रिकवरी का आदेश पारित किया और उसके आधार पर वादी के वेतन से हर माह 100) रुपया की कटौती करने का आदेश दिया के बाद हर समय बमुकाम सीतापुर परगना खैराबाद तहसील जिला सीतापुर अन्तर्गत अधिकार सीमा क्षेत्र श्रीमान जी पैदा हुआ।

धारा।18। यह कि मालियत दावा बगरज अख्तियार समाअत अदालत मुबलिग 2987-50 पैसा है परन्तु घोषणात्मक वाद के लिये इसी उपर्युक्त मालियत पर न्याय शुल्क मुबलिग 50) का अदा किया जाता है तथा वास्ते स्थायी प्रतिबन्ध इसी मालियत के 1/5 भाग मुबलिग 597-50 पैसा पर मुबलिग 87-50 पैसा का न्याय शुल्क अदा किया जाता है। यानी कुल न्याय शुल्क 137-50 का अदा किया जाता है और

ताइयुन मालियत 5975) रुपया घोषित की जाती है।

धारा 19। यह कि वादी प्रार्थी है :-

।अ। डिगरी घोषणात्मक वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्रदान की जावे कि प्रति0नं0 4 द्वारा पारित आदेश एफन |77-78 तारीखी 23-7-83 अवैध व प्रभाव शून्य है जिसके फलस्वरूप वादी अपना सम्पूर्ण वेतन एवम् अन्य सेवालाभादि पाने का अधिकारी है।

।ब। डिगरी स्थायी प्रतिबन्ध वादी के पक्ष में इस आशय की प्रदान की जावे कि प्रतिवादीगण को वादी से 2987-50 पैसा की रिकवरी करने से हमेशा के लिये मना कर दिया जावे।

।स। वादव्यय वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

।द। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो वादी को प्रतिवादीगण से दिलायी जावे।

इबारत तस्दीक

वादी

मैं वादी वाद पत्र की धारा 1 ता 11 को अपने निजी ज्ञान से व धारा 12ता 19 को विश्वास से सत्य होना प्रमाणित करता हूं।

मुकाम तस्दीक कचेहरी सीतापुर

तारीख तस्दीक 1-8-1983 ई0

टीकाराम उप0

A (19)

न्यायालय मुंसिफ सीतापुर, सीतापुर
उपस्थित :- श्री आर० डी० निर्मेष (पी० सी०एस० जे०)
मु० न० 322सन् 83

टीकाराम ----- वादी

बनाम

यूनियत बैक आफ इण्डिया --- प्रतिवादी

निर्णय

वादी ने यह दावा प्रतिवादी केबिरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत कियाहैकि प्रतिवादी न04 द्वारा पारित आदेश एफ 1/77-78 दिनांक 23-7-83 अबैधा व प्रभावशून्य घोषितकिया जावे तथा प्रतिविवादीगण को वादी से मु0 2987रूपया 50 पैसे वसूलकरने से सर्वदा केलिये अवरूद्ध किया जावे।

सूक्ष्ममे वादी काकहनाहैकि वह प्रधान डाकघर मे स्थायी लिपिक के पद पर कार्य ररत है और उसके कार्य हमेशा सन्तोषाजनक रहा यहकि सन् 83 मे प्रतिवादी न04 ने अपने आदेश 1/77-78 दिनांक 17-3-83 को यह आरोपलगायाकि वादी दिनांक 1-9-76 से लेजर कलर्क प्रथम सीतापुर प्रधान डाकघर के स्थान पर जब कार्य किया थातो बचत पास बुक न0 150 11 84 बैलेन्सकी जाँचहेतु करानेमें असफल रहा जिससे विभाग 6675रूपया का ------- । यह कि प्रतिवादीगण ने वादी के कथन पर बिना गौर किये हुये वादी से मु0 2987 रूपया 50 पैसा वसूलकरने के आदेश पारित करदिया जो अबैधानिक है।

इसकेस की सुनवायी के दौरान प्रतिवादीगण असफल रहे अत: यहकेस उनके बिरूद्ध एकतरफा सुना गया । वादी की तरफ से अपना शपथ पत्र प्रस्तुतकियागयाहैजिससे यह जाहिर होताहैकि कि वादी हेड पोस्ट आफिस मे बहैसियत लेजरक्लर्क काम करता था और उसकी जुम्मेदारी ब्रान्च डाकघर मे जमा धनराशि का लेजर मे चढाने जाने की नही थी शपथपत्र से यह भी जाहिर होताहैकि थानगाव ब्रान्च के हिसाब मे गल्ती पायी गयी जिस पर निरक्षिण की जुम्मेदारी पोस्टमास्टर रेउसा व निरीक्षक की थी जिनके बिरूद्ध प्रतिवादी न04 ने कोई कार्यवाही नही की। इस तरह वादी से प्रतिवादी न04 द्वारर मु0 2987 रूपया 50 पैसे वसूलकरने के आदेश पारित अबैधानिकवे प्रभाव शून्य है दावा वादी डिकी होने योग्य है।

2

H. C. J. No. IV—29

(A 20)

मूल वाद में आज्ञप्ति

(आदेश २०, नियम ६-७)

न्यायालय [illegible] स्थान [illegible] जिला

मूल संख्या [illegible] 322/83

संस्थित-दिनांक 2 मास 8 सन् 19 83 ई०

[illegible] श्री [illegible] वादी

[illegible]

बनाम

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

प्रतिवादी

टिप्पणी—जो पते ऊपर लिखे गये हैं, वह पक्षकारों ने, जो उपस्थित नहीं हुये, तामील के प्रयोजन से दाखिल किये हैं। को छोड़कर,

के लिये दावा

Value [illegible] 2987-50 [illegible]

[illegible]

[illegible] 23.7.83 [illegible]

[illegible]

न्यायालय का नाम -- [illegible]
वाद संख्या -- [illegible] 322/83
पक्षकारों के नाम -- [illegible]

पी० एस० यू० पी० (आर० आर०)--०८५ उच्च न्यायालय-- २१-२-७९--२,२५,००० ।

A-21 20091/2

वाद के खर्चे

वादी	रु०	पै०	प्रतिवादी	रु०	पै०
१—वाद-पत्र के लिये मुद्रांक	139	50	१—शक्ति-पत्र के लिये मुद्रांक		
२—शक्ति-पत्र के लिये मुद्रांक	2	50	२—याचिका के लिये मुद्रांक		
३—प्रदर्शितों के लिये मुद्रांक			३—अभिवक्ता की फीस		
४—अभिवक्ता की फीस रु० मद्दे	200	00	४—साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय		
५—साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय			५—आदेशिका की तामील		
६—कमीशन निष्पादक की फीस			६—कमीशन निष्पादक की फीस		
७—आदेशिका की तामील					
८ [illegible]	9	50			
	1	00			
योग------	352	50	योग------	Nil	

[illegible]

मुन्सरिम के हस्ताक्षर,

न्यायालय [illegible] सीतापुर उत्तर प्रदेश

(अशोक कुमार अग्निहोत्री)

वादी के अभिवक्ता के हस्ताक्षर

प्रतिवादी के अभिवक्ता के हस्ताक्षर

A 22 23 no.

न्यायालय मुंसिफ महोदय, सीतापुर ।

दीवानी वाद सं0 322/83

टीका राम	---	---	वादी
	बनाम		
यूनियन आफ इण्डिया आदि		---	प्रतिवादी

लिखित उत्तर प्रतिवादीगणों की ओर से :-

धारा 1- केवल इतना स्वीकार है कि वादी सीतापुर मुख्य डाक घर में डाक सहायक के स्थान पर कार्य कर रहा है और एक साधारण योग्यता का कर्मचारी है ।

धारा 2- यह स्वीकार है कि वादी पर मेमो नं0 एफ-1/77-78 दिनांक 17-3-83 के द्वारा आंशिक पढ़ा तामील किया गया। आरोप पत्र के विवरण हेतु इसको मूल रूप का अवलोकन किया जाना चाहिये ।

धारा 3- स्वीकार नहीं है। वादी को सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को देखने का अवसर दिया गया। जिन अभिलेखों को वादी देखना चाहता था वे उसे अवलोकन हेतु उपलब्ध कराये गये। समस्त सम्बंन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करने के पश्चात भी वादी ने आरोप पत्र का उपयुक्त समय देने पर भी स्पष्टीकरण अपने बचाव में प्रेषित नहीं किया ।

धारा 4- आरोप पत्र सम्बन्धित अभिलेख और वादी द्वारा उपयुक्त समय में आरोप पत्र का स्पष्टीकरण प्रेषित करने की स्मर्थता की स्थिति में पूरे विवाद को ध्यान में रखते हुये और अध्ययन करने के पश्चात सक्षम अधिकारी ने आदेश पारित किये ।

धारा 5- स्वीकार नहीं है। वादी को बचाव हेतु युक्ति युक्त अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपना प्रतिवेदन उचित समय से प्रस्तुत न करने के कारण सक्षम अधिकारी ने सम्पूर्ण परिस्थिति को ध्यान में रखकर उचित आदेश पारित किये ।

(क्रमशः---2 पर)

A3 23/2

धारा 6- जिस प्रकार लिखा है स्वीकार नहीं है। वादी के अपने कर्तव्य में ढिलाई के कारण विवादित सरकारी धन का गबन सम्भव हुआ अतएव वादी नुकसान के प्रति उत्तरदायी है ।

धारा 7- अस्वीकार है। नियमों के अन्तर्गत मुख्य शाखा के डाक सहायक के जिस पद पर वादी उस समय तैनात था उसे पासबुक मंगाकर नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिये थी। उसके कर्तव्य में त्रुटि के कारण वादी में हानि के लिये जुम्मेवार है ।

धारा 8- केवल इतना स्वीकार है कि वादी ने लेजर क्लर्क के स्थान पर कार्य किया। परन्तु जहाँ तक उसकी लापरवाही के कारण विभाग को हानि हुई है उसका उत्तरदायित्व वादी पर है ।

धारा 9- स्वीकार है। वादी को लेजर क्लर्क की हैसियत से अपने उत्तरदायित्व को निभाना था और पूरी कार्यवाही करनी थी। वादी के कर्तव्यच्युत होने के कारण उसके विरुद्ध सक्षम अधिकारी के द्वारा की गयी कार्यवाही का औचित्य है ।

धारा 10- अस्वीकार है। वादी की त्रुटि के लिये वादी जुम्मेदार है और इस आधार पर यदि वादी को त्रुटि की ओर उसकी ध्यान दिलाया जाता तो वह उन त्रुटियों को दूर करदेता है।

धारा 11- जिस प्रकार लिखा है स्वीकार नहीं है। अधिकारीगणों की सुपरवाइजरी जुम्मेदारी होने से वादी द्वारा की गयी त्रुटि से उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। विभिन्न स्तर के कर्मचारी और आधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाहन करना पड़ता है। अतएव वादी अपने स्तर पर की गयी त्रुटि का स्वयं जुम्मेवार है।

धारा 12- अस्वीकार है ।

धारा 13- अस्वीकार है । सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार वादी को स्पष्टीकरण का मौका देने के पश्चात अधिकार युक्त आदेश पारित किया गया है।

धारा 14- अस्वीकार है ।

[signature]

§क्रमशः---3पर§

A-21 83का
3

धारा 15- प्रस्तुत वाद बिना नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जाब्ता दीवानी कानूनन दूषित है और चलने योग्य नहीं है ।

धारा 16- कोई कारण वाद पैदा नहीं हुआ ।

धारा 17- कानूनी विषय है ।

धारा 18- प्रस्तुत वाद में वादी कोई सहायता पाने का अधिकारी नहीं है ।

धारा 19- यह कि वादी संदर्भित काल में सीतापुर मुख्य डाक घर में लेजर क्लर्क था और उसके अपने दायित्व का भली-भाँति निर्वाहन न करने के कारण उसे आरोप पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा दिया गया ।

धारा 20- यह कि आरोप पत्र प्राप्त होने के पश्चात वादी को समुचित अभिलेख निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराये गये और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु युक्ति युक्त समय दिया गया ।

धारा 21- नियमानुसार आरोप पत्र, अभिलेख देखे गये और गम्भीरता पूर्वक वादी द्वारा उत्तर न प्रस्तुत करने के प्रभाव को ध्यान में रखकर पूरे मामले का अध्ययन करने के पश्चात नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये गये जिसमें कोई प्रक्रियात्मक §**Procedural** § त्रुटि नहीं है ।

धारा 22- यह कि न्यायालय सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के सम्बन्ध में अपीली अधिकारी की हैसियत से निर्देश नहीं दे सकती है।

धारा 23- यह कि सक्षम अधिकारी के आदेश के विरूद्ध वादी ने कोई अपील विभागीय अपीली अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतएव उक्त आदेश अंतिम हो गया है ।

धारा 24- यह कि सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायालय द्वारा श्रवणीय § **Justifiable** § नहीं है और प्रस्तुत वाद तथ्य और विधि के प्रतिकूल है और खर्चा सहित खारिज होने के योग्य है ।

इबारत तस्दीक:-

मैं ~~सुहैल अहमद~~ [handwritten: मेहमूद इरशाद नगर], डाकअधीक्षक सीतापुर लिखित उत्तर की धारा 1,2,20 को अपने ज्ञान से जो सूचना एवं रिकार्ड पर आधारित है और धारा 3 ता 19, 21 ता 24 को विश्वास से सही होना प्रमाणित करता हूँ ।

दिनाँक:- 31.X.85 [signature]
27-1-86

[signature]
§डाक अधीक्षक§
सीतापुर।

[illegible] [illegible]

[illegible]

Regarding the case.

Heard learned [illegible] the record. The matter appears to be of urgency. Hence the application is allowed & the plaintiff is permitted to file this suit without serving the mandatory notice u/s 80 CPC.

[illegible signature]

[illegible] बनाम [illegible] (2327/83)

Suit for value [illegible]

302/2

4/8/83 Seen. Mr. [illegible] [illegible] of [illegible]

Register.

[illegible signature]

द्वारा प्रतिवादी [illegible]

[illegible]

Issue notice

18/8/83

(2) 10/8/83

मुक़दमा पेश हुआ पुकार कराई गई पक्षकार उपस्थित आये। प्रतिवादी प्रार्थनापत्र प्रतिवादी ने प्रस्तुत की कि वादपत्र की नक़ल दिलाई जाय तथा समय दाखिल करने आपत्ति की दिया जाय। स्वीकार की गयी।

आदेश

मुक़दमा दिनांक 24-8-83 को वास्ते दाखिल करने आपत्ति व लिखित कथन प्रार्थनापत्र पेश हो। प्रतिवादी नक़ल प्राप्त करें जो पत्रावली में दाखिल है।

25/8/83

MUNSIF SITAPUR
SITAPUR.

थाना सदर पुलिस सीतापुर
धारा 384/83
शिवाराम व सुनील आदि बनाम [illegible]

3 [illegible]

Security shall be forfeited.

[illegible] the objections are disposed accordingly.

[illegible] 5/10/83

WS [illegible]

(4) 5/10/83 मुकदमा पेश हुआ पुकार करायी गयी पक्षकार [illegible] अनुपस्थित
आर्डर 12 के प्रार्थना पत्र प्रतिवादी ने
सम्पत्ति की स्वीकार की गयी।

आदेश

मुकदमा दिनांक 8-11-83 को
बाबत दाखिल करने लिखित उत्तर वादीगण
हेतु पेश हो।

8/11/83 [illegible]

(5) 8/11/83 मुकदमा पेश हुआ पुकार करायी गयी
पक्षकार उपस्थित आर्डर 12 के प्रार्थना पत्र
प्रतिवादी ने सम्पत्ति की विवादित है प्रार्थना पत्र
24 का इन्दीराज स्वीकार की गयी

आदेश

मुकदमा दिनांक 19-12-83 को बाबत
दाखिल करने लिखित उत्तर व विवाद्यक हेतु पेश हो।

WS [illegible] 19/12 [illegible]

न्यायालय मुन्सिफ सीतापुर
वाद 324/83
रामकरन व मुन्नि बनाम [illegible] 3/..

(9) 3/5/84 Case called out

वादी मय अधिवक्ता के साथ उपस्थित आये। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आये।

आदेश 8/5/84

आदेश

Parties to proceed ex-parte. Affidavit file ... 8/5/84 ...

(10) 8/5/84 मुकदमा पेश हुआ पुकार कराई गयी। वादी मय अधिवक्ता के साथ उपस्थित आये। बहस वादी अधिवक्ता एक पक्षीय सुनी गयी तथा आदेश खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

आदेश

दावा वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी नं. 4 द्वारा पारित आदेश केस 1/77-78 दिनांक 25-9-83 अवैधानिक व शून्य [illegible] घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को वादी को 2987 रु. 20 पै. बतौर खर्चे के लिये [illegible] डिक्री किया जाता है। नतीजा की रजिस्टर में दर्ज बाद प्रबन्ध डिक्री पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय मुंसिफ सीतापुर

C.S. 322/83

टीकाराम बनाम यूनियन आफ इंडिया

~~vide 9.3.85~~ order sh.

14.3.86

Let the Case be transferred to Central Administrative Tribunal (Addl Bench) Allahabad for disposal. File be sent immediately parties informed.

M.f. Sitapur

C-322/83 पेशी
१२-८-८३

एस० सी० जे० फार्म नं० ३३, भाग ७

हेतु संदर्शित करने की सूचना (साधारण प्रारूप)

न्यायालय श्रीमान मुंसिफ स्थित सीतापुर जिला सीतापुर

वाद संख्या सन १९ ई०

वादी

बनाम

प्रतिवादी

को

चूंकि उपरिनामांकित ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि एतएव आपको एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है। कि आप उस आवेदन के खिलाफ हेतु संदर्शित करने के लिये १९ के के दिवस को बजे पूर्वाहन में स्वयं या सम्यक रूपेण अनिविष्ट अपने अभिवक्ता द्वारा उपसंजात हों और ऐसा करने में असफल रहने पर उक्त आवेदन एक पक्षाड रूप से सुना जायेगा और अवधारित किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज १९ के के दिवस को निकाली गई है।

न्यायालय मुंसिफ सीतापुर उत्तर प्रदेश

BY ORDER OF THE COURT

Munsarim
Munsif's Court, Sitapur.
न्यायाधीश

न्यायालय का नाम
वाद संख्या

वादी/प्रतिवादी द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों की सूची—

(आदेश ९ नियम १)

न्यायालय श्रीमान् ... स्थान ... जिला ...

वाद संख्या सन् १९ ई०

... वादी

बनाम

... इण्डिया आदि

वाद पत्र के साथ

... वादी प्रतिवादी की ओर से ... पेश किये गये दस्तावेजों की सूची

प्रथम सुनवाई के साथ

उसी सूची को ... ने आज सन् १९ ... इसवी ... दिवस को पेश किया गया।

क्रम सं०	दस्तावेजों का अभिवर्णन और उसकी तारीख यदि कोई	कागज क्या हुआ: यदि अभिलेख में सम्मिलित किया गया निशान चिन्ह जो उस पर डाला गया	कागज क्या हुआ: यदि नामँजूर हुआ तो तो पक्षकार को लौटायें जाने की तारीख और पक्षकार उसके अभिवक्ता के हस्ताक्षर जिसको कागज लौटाया गया	कागज क्या हुआ: यदि वाद के विनिमयि के पश्चात कागज अभिलेख में रह जाय और अध्याय ३ नियम २४ के आधीन लिफाफा में बन्द किये तो लिफाफ बन्दकिये जाने की की तारीख	टिप्पणी
	२				४
	Original order of Supreme Court ... 25/7/07				न्यायालय का नाम ... क्रमांक सं० ... पक्षकारों के नाम ...

सूची को पेश करने वाले पक्षकार या अभिवक्ता के हस्ताक्षर

o

...AND TELEG...
...DEPT. OF POST OFFICES...

Memo [illegible]-1/77-78
Dated at Sitapur the, 23.7.83.

Shri Tika Ram P.A. Sitapur HO was informed vide this office memo of even no. dt. 17.3.83 that it was proposed to take action against him under rule 16 of CCS(CCA) rules 1965 for the following lapses on his part.

While working as Ledger Clerk I Sitapur HO Shri Tika Ram posted withdrawl of Rs.50/- dt. 1.9.76 in ledger card of SB a/c no.1501184 of Thangaon EDBO in account with Reosa S.O.(Sitapur) but he failed to obtained SB pass book a/c no. 1501184 for verification though there was difference in balance due to misappropriation of amount of Rs.300/-, 150/-, 100/- and Rs.50/- deposited on 12.9.75, 19.11.75, 24.4.75 and 31.5.76 respectively. Had he called for the pass book for verification of balance of the account the case of misappropriation would have come in light earlier and the department would have saved of loss to the tune of Rs.6675/- misappropriated by the EDDPM in SB deposits. Thus Shri Tika Ram while working as L.C. I Sitapur was alleged to have failed to maintain devotion to duty as required of him under rule 3(1)(ii) of CCS(CCA) rules 1965. He was also alleged to have contravened the provision of rule 452(5) of P&T Man.Vol.6 VI Part II.

The above memo of allegation was delivered to him and the official requested to examine some document vide his application dt. 23.2.83. These documents were shown to him but he failed to submit his representation to this office.

I have gone through the whole case records and documents. Shri Tika Ram while working as ledger clerk I at Sitapur HO on 1.9.76 posted withdrawl of Rs.50/- in SB a/c no. 1501184 of Thangaon EDBO. Though there was difference in balance and too as required under rule 452(5) of P&T Man.Vol. VI the pass book a/c no.1501184 should have been brought up in special error book and pursued till receipt of the same for verification, but no such action was taken by Shri Tika Ram. The amount in this very account (as subsequently found misappropriated by the EDBPM. Had the action to call the pass book for scruitiny and examination being taken by & the misappropriation on the part of EDDPM would have been brought to light and the department would have not suffered loss to the tune of Rs.6975/- which the EDDPM Thangaon happened to misappropriate from several SB accounts standing open at his office. Shri Tika Ram though called upon to explain for the lapses on his part has failed to submit any written representation so far inspite of remider issued to him on 24.5.83. It appears the official has no explanation to offer against the lapses on his part.

ORDER

I, Turail Ahmad S.P.Os. Sitapur thus hereby order that a sum of Rs.2987.50 being the portion of loss sustained by the department may be recovered from pay of the official in thirty monthly instalments of Rs.100/- each the last one being equal to Rs.87.50 only.

Supdt. of Post Offices
Sitapur Pn.261001.

Copy to:-
1. The official.
2. C/H. 3. P/R, 4. P/F, 5. PM Sitapur, 6. O/C, 7. Spare.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

In The Court of Munsif Sitapur.

Tika Ram ——— Plaintiff

vs.

Union of India and others — Respondent

Registered Address Plaintiff

TIKARAM S/o BAIJNATH R/o
HEMPURWA P.O SITAPUR PARGANA
TAHSIL & DISTRICT SITAPUR

Tika Ram

Pleader
S.S. [illegible]

वकालतनामा

श्रीमान्

प्रतिवादी

बनाम

स्मृति

उपरोक्त मुकदमें अपील व निगरानी में अपनी ओर से

श्रीमान्

वकील साहब को या जिब साहब को श्रीमान कौल साहब अपनी ओर से भेंजें उनको अपना वकील नियत करके वचन देता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि उल्लिखित वकील साहब उपरोक्त मुकदमे व अपील व निगरानी में जो कुछ पैरवी या उत्तर प्रत्युत्तर करें या कोई कागजाद सनद या सनदें इत्यादि पेश करें या वापस लें या हमारी ओर से इजराय डिग्री कराके वह रुपया जो हमें मिलने को है वसूल करे या राजीनामा मा एकबाल दावा हमारी ओर से करें या दाखिल कर या प्रतिवादी द्वारा दाखिल किया हुआ रुपया स्वयं अपने हस्ताक्षरों या हमारी दस्तखत की हुई रसीद द्वारा लेवे या किसी मुकदमे में पंच नियत करें यह सब मय हानि लाभ जो मिसिल मे कार्यवाई करेंगे हमे स्वीकार होगा और नियत मेहनताना न मिलने पर श्रीमान् वकील साहब को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त मुकदमे अपील या निगरानों की पैरवी न करें इसलिये यह बकालतनामा लिख दिया कि सनद हो और आवश्यक समय पर काम आये।

Accepted
p. D. Verma

Accepted
Shiva Shankar

अदालत का नाम
नं० मुकदमा
पक्षों का नाम

हस्ताक्षर..................

गवाह.................... गवाह....................

ता० सन् १९ ई०

न्यायालय श्रीमान मुन्सिफ महोदय सीतापुर।

टीकाराम [illegible] वादी

बनाम

1. यूनियन आफ इन्डिया आदि [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जा०दीवानी

श्रीमान जी,

निवेदन है कि वादी ने एक वाद घोषणात्मक एवम् स्थायी प्रतिबन्ध का न्यायालय श्रीमान जी मे प्रस्तुत किया है जिसमे विधानत: नोटिस अन्तर्गत धारा 80(2) जा०दीवानी देना आवश्यक है परन्तु उपर्युक्त वाद *Urgent* होने के कारण वादी को उपर्युक्त नोटिस से *exempt* किया जावे ताकि वादी गम्भीर क्षति एवम् प्रतिवादी नम्बर चार द्वारा पारित किये गये गलत आदेश से छुटकारा पा सके और उसके वेतन मे कटौती न हो सके।

अत: प्रार्थना है कि वादी को धारा 80(2) के अन्तर्गत नोटिस से *exemption* देने की कृपा की जावे।

श्रीमान जी की महान कृपा होगी।

वादी

दिनांक 1-8-83 ई०

टीकाराम उपरोक्त

Shiva Shankar Lal Awasthi
Advocate

A-37

न्यायालय श्रीमान मुन्सिफ महोदय सीतापुर।

COURT FEE INDIA ७५ पैसे 75 PAISE — CANCELLED 13/8/84

COURT FEE INDIA 75 PAISE — CANCELLED 13/8/84

टीकाराम   वादी

2-8-83

बनाम

यूनियन आफ इन्डिया आदि   ----   प्रतिवादी गण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 जा0दी0

श्रीमान जी,

निवेदन है कि वादी ने एक वाद घोषणात्मक एवम् स्थायी प्रतिबन्ध का न्यायालय श्रीमान जी मे दाखिल किया है जिसमे सफलता की पूर्ण आशा है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने दिनांक 1-9-76 को लेजर क्लर्क प्रथम सीतापुर प्रधान डाक घर केवल एक दिन के लिये कार्य किया और जो भी युक्ति युक्त सावधानियां एक [illegible] साधारण व्यक्ति द्वारा बरती जा सकती थी वह बरती। वादी ने ईमानदारी एवम् परिश्रम एवम् सदभावना पूर्वक कार्य किया था और किसी किस्म की कार्य मे लापरवाही नही बरती। प्रार्थी ने अपने सुपरवाइजर साहब के निरदेशानुसार कार्य किया। शाखा डाक घर थानगांव के अतिरिक्त विभागीय डाकपाल ने 6675) रुपया का गबन किया जो वादी के [illegible] से कार्य करने के पूर्व किया गया है जिसमे वादी की कोयी साजिश नही रही और न कोई नेग्लीजेन्स ही रही है। प्रतिवादी नम्बर 4 ने 2987-50 पैसे की रिकवरी का आदेश वादी पर गलत पारित किया है। इस गबन से वादी का कोयी ताल्लुक व वास्ता नहीं है। प्रतिवादी ने वादी के वेतन से इसी माह से 100) रुपया प्रतिमास की कटौती का आदेश पारित कर दिया है। यदि यह कटौती तुरन्त न रोकी गयी तो वादी को नातलाफी बख्श नुक्सान पहुंचेगा जिसकी तलाफी वाद मे होनी मुश्किल हो जावेगी।

अत: प्रार्थना है कि अस्थायी प्रतिबन्ध के जरिये प्रतिवादी नं0 4 को मना कर दिया जाय कि वह वादी के वेतन से 100) रुपया प्रतिमास की कटौती कुल धन 2987-50 पैसा वसूल करने से ता फैसला मुकदमा मना कर दिया जावे। महान दया होगी।

प्रार्थी

टीकाराम उपरोक्त

दिनांक 1-8-83 ई0

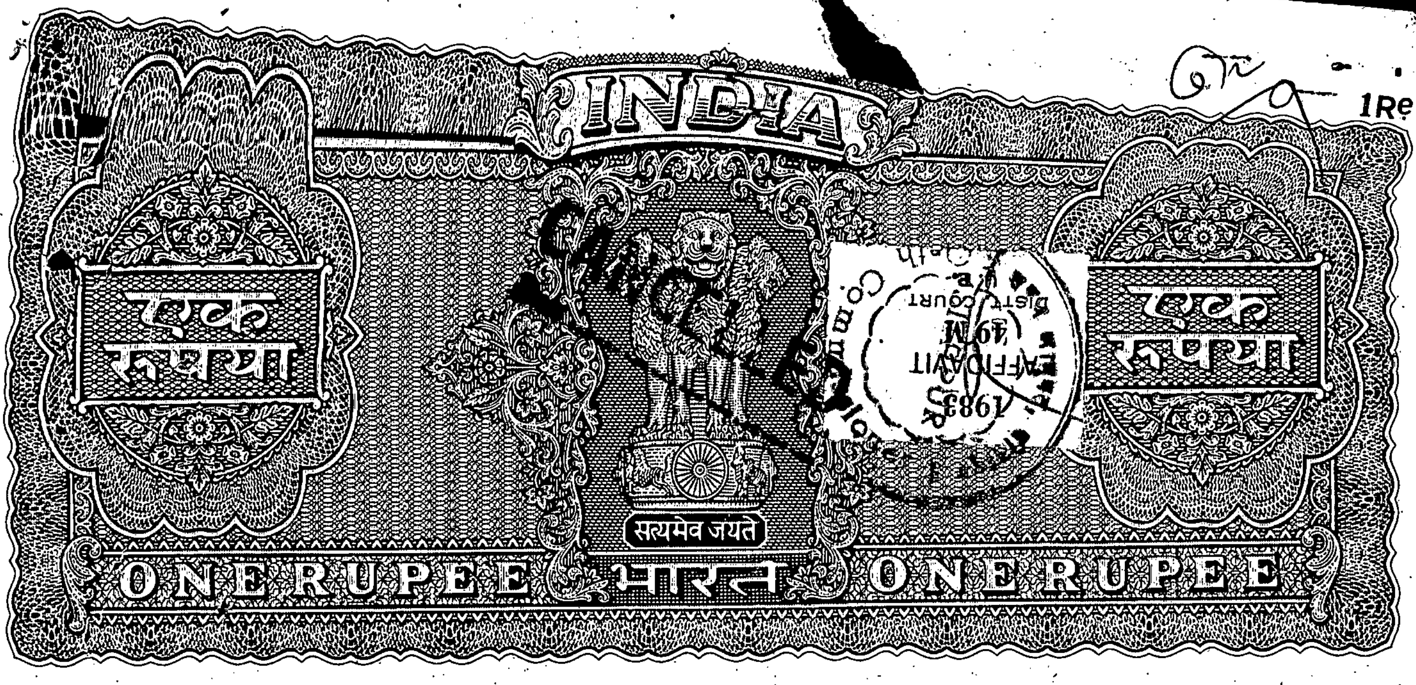

न्यायालय श्रीमान मुन्सिफ महोदय सीतापुर।

टीकाराम --- वादी

बनाम

यूनियन आफ इन्डिया आदि ---- प्रतिवादीगण

शपथ पत्र मिन्जानिब टीकाराम

मन कि टीकाराम पुत्र बैजनाथ निवासी ग्राम हेमपुरवा परगना तहसील व जिला सीतापुर का वहलफ मुजहिर हूँ कि शपथ पत्र में जो लिखा गया है सब सच व सही है कुछ झूठ नहीं है और न कुछ छिपाया गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

धारा।1। यह कि शपथ कर्ता ने एक वाद घोषणात्मक एवम् स्थायी प्रतिबंध का न्यायालय श्रीमान जी में दाखिल किया है जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार है।

धारा।2। यह कि वादी ने दिनांक 1-9-76 को लेजर क्लर्क प्रथम सीतापुर प्रधान डाकघर केवल एक दिन के लिये कार्य किया और जो भी युक्ति युक्त सावधानियाँ एक साधारण व्यक्ति द्वारा बरती जा सकती थी वह बरतीं।

धारा।3। यह कि शपथ कर्ता ने ईमानदारी एवम् परिश्रम एवम् सदभावना पूर्वक कार्य किया था और किसी किस्म की कार्य में लापरवाही नहीं बरती।

धारा।4। यह कि शपथ कर्ता ने अपने सुपरवाइजर साहब के निर्देशानुसार कार्य किया। शाखा डाक घर थानगांव के अतिरिक्त विभागीय डाकपाल ने 6675) रुपया का गबन किया जो शपथ कर्ता के कार्य करने के पूर्व किया

(कृपया पृष्ठ उलटिये)

1Re

गया है जिसमें शपथ कर्ता की कोयी साजिश नहीं रही और न कोई नेग्लीजेन्स ही रही है। प्रतिवादी नं० 4 ने 2987-50 पैसा की रिकवरी का आदेश शपथ कर्ता पर गलत पारित किया है।

धारा 5। यह कि इस गबन से शपथ कर्ता का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है। प्रतिवादी ने शपथ कर्ता के वेतन से इसी माह से 100) रुपया प्रति मास की कटौती का आदेश पारित कर दिया है। यदि यह कटौती तुरन्त न रोकी गयी तो शपथ कर्ता को नाततलाफी वरूश नुकसान पहुंचेगा जिसकी तलाफी बाद में होनी मुश्किल हो जावेगी।

इबारत तस्दीक

मैं शपथ कर्ता शपथ पत्र की धारा 1 लगायत 5 को अपने निजी ज्ञान से सच व सही होना प्रमाणित करता हूं।

शपथ कर्ता
[signature]
टीकाराम उपरोक्त

मुकाम तस्दीक कचेहरी सीतापुर

तारीख तस्दीक - 1-8-83 ई०

श्री Teeka Ram [signature]
जिनकी पहचान श्री S.S. Lal Awasthi Adv
ने की। जिनसे मैं स्वयं परिचित हूं मेरे समक्ष
सत्य एवं निष्ठा से शपथपूर्वक शपथ-पत्र में
लिखित विवरण की सत्यता प्रमाणित की।
क्रम संख्या 1325 ... 33 प्रमाणित/अवरान
दिनांक 1/8/83 शपथ आयुक्त, सीतापुर [signature]

I know & identify Tika Ram who has signed before me.
Shiv Shankar Lal Awasthi Advocate
1.8.83

शपथ आयुक्त, सीतापुर
Oath Commissioner
SITAPUR

মাননীয় প্রধান [illegible] মহোদয় সমীপেষু

হীরা রায় — — — বাদী

বনাম

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া আদি ——— প্রতিবাদীগণ

[illegible] ৩.৬৪

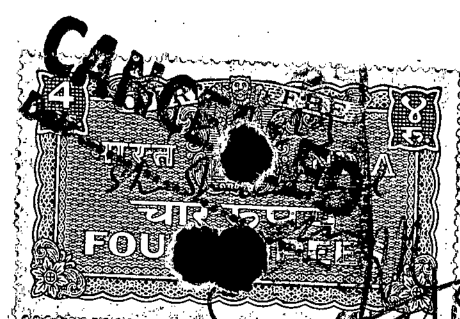

[illegible]
২.৩.৬৭

[illegible]

১-৩-৬৭

न्यायालय श्रीमान् [illegible] साहब

दीवानी मुकदमा नं० ३२२ सन् ८३ ई०

पेशी १२-२-८३ ई०

हीरालाल ———— वादी

बनाम

~~प्रतिवादी~~ [illegible] — ~~प्रतिवादीगण~~

विरुद्ध नगरपालिका [illegible]

C. 322/83
पेशी 10/01/83

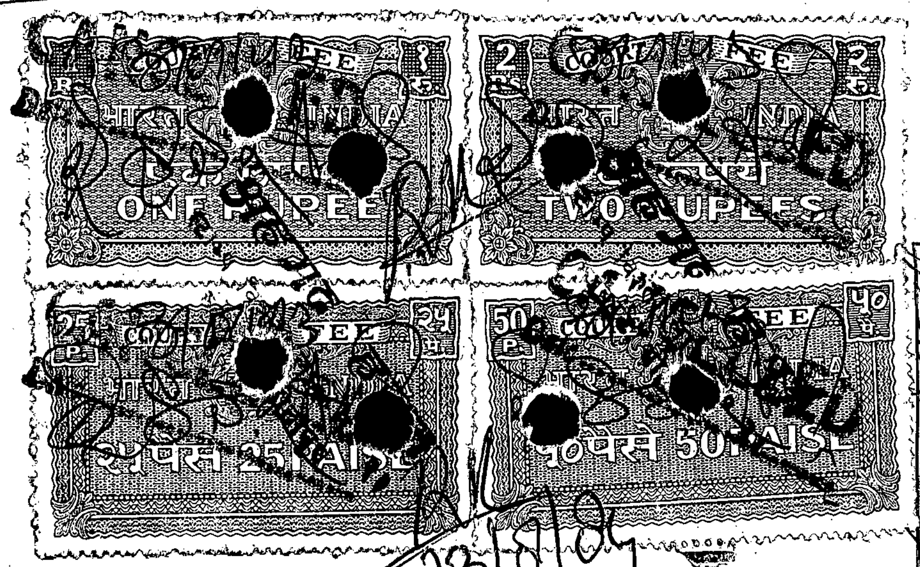

13/01/83

S.S. Awasthi

हीरालाल (वादी) [illegible]

[illegible] हाईकोर्ट

[illegible] 5/1/83

99712
9

न्यायालय श्रीमान मुन्सिफ महोदय, सीतापुर।

सिविल सूट नं0 322 / 83

टीकाराम --- --- वादी

बनाम

यूनियन आफ इन्डिया आदि --- --- प्रतिवादी

आपत्ति बाबत प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

श्रीमान जी,

प्रतिवादी का निवेदन निम्नलिखित है :-

धारा 1- यह कि वादी तत्कालीन लेजर क्लर्क के पद पर मुख्य डाकघर सीतापुर में कार्यरत था और उस हैसियत से उसका उत्तरदायित्व था कि वह जिस खाते के बैलेन्समें अन्तर पाये उसे स्पेशल यररबुक (Errer book) में दर्ज करें और खाते की पास बुक व सीधे जमाकर्ता से मंगवाने की कार्यवाही करे।

धारा 2- यह कि वादी ने उक्त पद पर कार्य करते हुए बचत खाता संख्या - 1501184 के बैलेन्स में अन्तर पाने पर भी उक्त खाते की पासबुक जमाकर्ता से मंगवाने की समुचित कार्यवाही नहीं की जिससे कि सम्बन्धित जालसाजी का ज्ञान विभाग को अविलम्ब न हो सका और शासकीय धन की क्षति हुई।

धारा 3- यह कि वादी के विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली के नियम 16 के अन्तर्गत आरोपपत्र देकर विधिवत कार्यवाही की गई और आरोप सिद्ध होने पर सक्षम अधिकारी ने 2987-50 रु0 की वसूली का दण्ड निर्धारित किया।

{ क्रमशः-----2 पर }

91712/2

धारा 4- यह कि वादी उक्त दण्ड के विरुद्ध निदेशक डाक सेवायें, लखनऊ को अपील कर सकता था जो कि उसने नहीं किया ।

ऐसी दशा में वादी के विरुद्ध शासकीय क्षति की वसूली की कार्यवाही सही और सक्षम रूप से की जा रही है और वादी का प्रस्तुत प्रार्थनापत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज होने योग्य है ।

H.C. Ishwar
D.C.C.
for deptt.
25.8.83.

न्यायालय श्रीमान मुन्सिफ महोदय सीतापुर।

दीवानी मुकदमा नम्बर 322 सन 83

ता० पेशी 5-10-83

टीकाराम ---- वादी

बनाम

यूनियन आफ इन्डिया आदि ----- प्रतिवादीगण

जमानत नामा

मै कि रामचन्द्र पुत्र प्यारे लाल निवासी मोहल्ला ऊंचा टीला तरीनपुर सीतापुर परगना तहसील व जिला सीतापुर का हूं। और श्री टीकाराम पुत्र वैजनाथ प्रसाद निवासी हैंमपुरवा परगना तहसील व जिला सीतापुर से इस सन्दर्भ की जमानत मुबलिग 3000) रुपया की तलब की गयी है कि यदि श्री टीकाराम का दावा नाकामयाब होता है तो 3000) का धन जमानत मे मकफूल 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्रों से वसूल किया जावेगा। जिसकी तफसील नीचे दी जाती है। मै इस सन्दर्भ मे अपने निम्नलिखित 7 वर्षीय बचत पत्र मुबलिग 3000) रुपया के मकफूल जमानत करता हूं और इकरार करता हूं कि यदि टीकाराम उपरोक्त 3000) रुपया देने मे कोयी कोताही करे तो मेरी मकफूल 7 वर्षीय बचत पत्रों से मुबलिग 3000) रुपया वसूल कर लिये जावें। जिसमे मुझे कोयी आपत्ति नही है।

तफसील नैशनल सेविंग सार्टीफिकेट

1- नेशनल सेविंग सार्टीफिकेट नम्बर 7 एन-एस। डी।2 826879 मु० 1000)

2- नेशनल सेविंग सार्टीफिकेट नम्बर 7 एन-एस। डी/2 826880 मु० 1000)

3- नेशनल सेविंग सार्टीफिकेट नम्बर 7 एन एस। डी/2 826881 मु० 1000)

3000।-रु०

जमानत दार

(राम चन्द्र)

दिनांक 26-8-83 ई०

I know & identify Ram Chandra रामचन्द्र surety who has signed before me. His name and address given in the bond is correct. He is solvent to the extent of Rs 3000/-. Shiva Shankar Lal Awasthi Advocate 26/8/83

एकल धारक SINGLE HOLDER TYPE

आयकर के अध्यधीन SUBJECT TO INCOME TAX

पांचवां निर्गम

FIFTH ISSUE

7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्र
7-YEAR NATIONAL SAVINGS CERTIFICATE

1000 7 NS / D/2 826879 1000

एक हजार रुपये

V ISSUE

RUPEES ONE THOUSAND

भारत सरकार .... (नाम)

को .... (तारीख) .... को अथवा

उसके बाद 1980 रुपये (केवल एक हजार नौ सौ अस्सी रुपये) अथवा बचत-पत्र के जारी किए जाने की तारीख से पूरे तीन वर्ष समाप्त हो जाने के बाद किसी अन्य तारीख को इस बचत-पत्र के पृष्ठ भाग पर दिए गए ब्यौरे के अनुसार उस तारीख को देय 1980 रुपये से अनधिक राशि देने का वचन देती है। यह बचत-पत्र, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की 13 मार्च, 1975 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 148 (अ) द्वारा संशोधित 6 सितम्बर, 1973 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 421 (अ) के अनुसार जारी किया गया है।

The Government of India promises to pay to Sri Ram Chandra ....

a sum of Rs. 1980/- (RUPEES ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND EIGHTY ONLY) on or after the 5-7-87 or at any other date after the expiry of three complete years from the date of issue of this certificate a sum not exceeding Rs. 1980/- specified on the reverse as due on such date. This certificate is issued pursuant to Government of India, Ministry of Finance, Notification No. G. S. R. 421 (E) dated 6th September, 1973 as amended by Notification No. G. S. R. 148 (E) dated 13th March, 1975.

डाकघर POST OFFICE ....

निर्गम की तारीख DATE OF ISSUE 5-7-80

पंजीकरण संख्या REGISTERED NO. 21903

१०००	८०००
९०००	४०००
५०००	७०००
२०००	१०००

पृष्ठभाग देखिये SEE REVERSE

INDIA SECURITY PRESS NASIK ROAD

डाकपाल POSTMASTER

ROUND M.O. STAMP

एकल धारक SINGLE HOLDER TYPE ... आयकर अधिनियम के अध्यधीन SUBJECT TO INCOME TAX

पांचवां निर्गम | FIFTH ISSUE

7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्र
7-YEAR NATIONAL SAVINGS CERTIFICATE

1000 7NS/D/2 826880 **1000**

एक हजार रुप[illegible] RUPEES ONE THOUSAND

V ISSUE

भारत सरकार .... (नाम)
को .... (तारीख) को अथवा उसके बाद 1980 रुपये (केवल एक हजार नौ सौ अस्सी रुपये) अथवा बचत-पत्र के जारी किए जाने की तारीख से पूरे तीन वर्ष समाप्त हो जाने के बाद किसी अन्य तारीख को इस बचत-पत्र के पृष्ठ भाग पर दिए गए ब्यौरे के अनुसार उस तारीख को देय 1980 रुपये से अनधिक राशि देने का वचन देती है। यह बचत-पत्र, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की 13 मार्च, 1975 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 148 (अ) द्वारा संशोधित 6 सितम्बर, 1973 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 421 (अ) के अनुसार जारी किया गया है।

The Government of India promises to pay to Sri [illegible] a sum of Rs. 1980/- (RUPEES ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND EIGHTY ONLY) on or after the 5-7-[illegible] or at any other date after the expiry of three complete years from the date of issue of this certificate a sum not exceeding Rs. 1980/- specified on the reverse as due on such date. This certificate is issued pursuant to Government of India, Ministry of Finance, Notification No. G. S. R. 421 (E) dated 6th September, 1973 as amended by Notification No. G. S. R. 148 (E) dated 13th March, 1975.

डाकघर POST OFFICE [illegible]
निर्गम की तारीख DATE OF ISSUE 5-7-[illegible]
पंजीकरण संख्या REGISTERED NO. 21903

1000	1000
1000	1000
1000	1000
1000	1000

पृष्ठभाग देखिये SEE REVERSE

डाकपाल POSTMASTER

POSTAL DATE STAMP

ROUND M.O. STAMP

INDIA SECURITY PRESS NASIK ROAD

एकल धारक SINGLE HOLDER TYPE

आयकर से मुक्त EXEMPTED TO INCOME TAX

पांचवां निर्गम

FIFTH ISSUE

7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्र
7-YEAR NATIONAL SAVINGS CERTIFICATE

1000 7NS/D2 826881 1000

एक हजार रुपये

RUPEES ONE THOUSAND

V ISSUE

भारत सरकार .... (नाम) को .... (तारीख) को अथवा उसके बाद 1980 रुपये (केवल एक हजार नौ सौ अस्सी रुपये) अथवा बचत-पत्र के जारी किए जाने की तारीख से पूरे तीन वर्ष समाप्त हो जाने के बाद किसी अन्य तारीख को इस बचत-पत्र के पृष्ठ भाग पर दिए गए ब्यौरे के अनुसार उस तारीख को देय 1980 रुपये से अनधिक राशि देने का वचन देती है। यह बचत-पत्र, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की 13 मार्च, 1975 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 148 (अ) द्वारा संशोधित 6 सितम्बर, 1973 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 421 (अ) के अनुसार जारी किया गया है।

The Government of India promises to pay to Sh. Ram Chandra .... a sum of Rs.1980/- (RUPEES ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND EIGHTY ONLY) on or after the 5-7-83 or at any other date after the expiry of three complete years from the date of issue of this certificate a sum not exceeding Rs.1980/- specified on the reverse as due on such date. This certificate is issued pursuant to Government of India, Ministry of Finance, Notification No. G. S. R. 421 (E) dated 6th September, 1973 as amended by Notification No. G. S. R. 148 (E) dated 13th March, 1975.

डाकघर POST OFFICE ....

निर्गम की तारीख DATE OF ISSUE 5-7-80

पंजीकरण संख्या REGISTERED NO. 2903

1000	1000
1000	1000
1000	1000
1000	1000

पृष्ठ भाग देखिये SEE REVERSE

डाकपाल
POSTMASTER

A-48

In the Court of Munsif ,Sitapur.

Tika Ram .. ..Plaintiff

Versus

Union of India & others .. .. Defendants.

C.S. No. 322/83

Fixed 5.10.83

Under taking

I, Tika Ram S/o Baij Nath Prasad R/o Village Hempurwa Pargana Tahsil & District Sitapur hereby give undertaking that if my suit fails I shall pay the amount @ Rs. 100/- per month from the date of suit upto the date of the decision of the case within 15 days failing which my security shall be porfeitted.

Tika Ram

Dated 26.8.83. (Tika Ram)

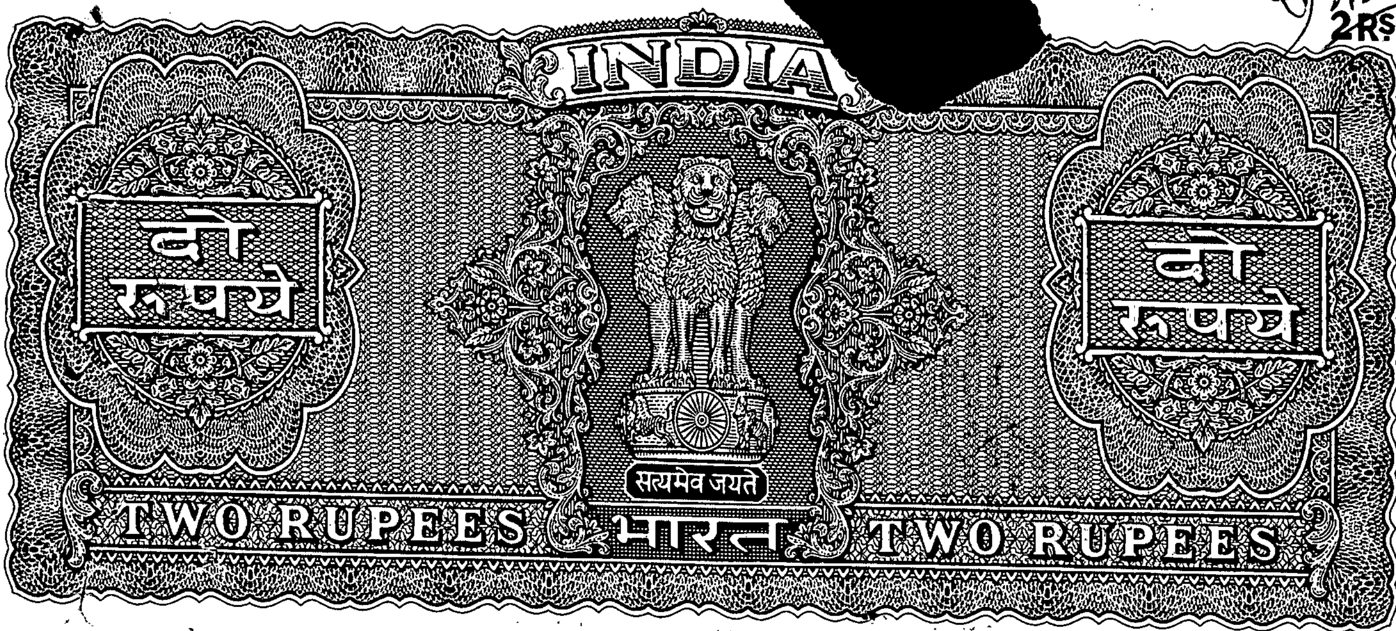

न्यायालय श्रीमान मुंसिफ महोदय- सीतापुर

टीकाराम वादी

बनाम

यूनियन आफ इन्डिया प्रतिवादी

वाद दीवानी नम्बर - 322/83

शपथपत्र बाबत वादीके समर्थन में

मनकि टीका राम पुत्र श्री बैजनाथ निवासी हेमपुरवा परगना- व तहसील व जिला- सीतापुर का हूं शपथपूर्वक बयान करता हूं कि शपथपत्र में जो लिखागयाहै वह सब सत्य है कुछ भी झूठ नही न कोई बात छिपाई गयी है ईश्वर/ खुदा मेरी मदद करे।

धारा 1:- यहकि प्रतिवादीगण पर सम्मन तामील हो चुके है उन्होने कई बार बयान तहरीरी दाखिल करने के लिए ~~समय~~ मौका अदालत से मांगाऔर उनको कईमौके बयान तहरीरी के लिए दिए गये मगर बयान तहरीरी दाखिल नही किया बमोजिब आर्डर 8 नियम 5 सी पी सी कार्यवाही होनी चाहिए।

धारा 2 :-यहकि शपथकर्ता हैडआफिस में बहैसियत लेजर क्लर्क काम करता था और उसकी जुम्मेदारी ब्रांच डाकखानों में जमा धनराशि का लेजर में चढाए जाने की जुम्मेदारी थी।

धारा 2:- यहकि थानगांव ब्रांच के हिसाब में गलती पाई गईजिस परनिरीक्षण

की जिम्मेदारी पोस्ट मास्टर रेऊसा व निरीक्षक की थी परन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करके प्रतिवादी नं04 ने और वैधानिककार्यवाही किए हुए शपथकर्ता पर 2987-50 पैसाकी जुम्मेदारी कायम करदी और आदेशदियाकि शपथकर्ताकी मासिक वेतन में से 100/रुपया प्रतिमाह काट लियाजाये यह आदेश सर्वथाअवैधानिक है।

धारा 4:- यहकि शपथकर्ता ने जो जवाब दही प्रस्तुत की उस पर प्रतिवादी नं0 4ने विचार नही कियाऔरबावजूद मांगने के आवश्यक कागजात शपथकर्ता को नही दिखाए गए।

धारा5:- यहकि प्रतिवादी गण को नियमानुसार नोटिसे दी गई परन्तु उन्होनेकोई ध्यान नही दियाइसलिए यह दावा करनापड़ा।

धारा6:- यहकि शपथकर्ता ने न तो कोई गबन किया और न उसके पास कभीरुपया आया और उपरोक्त कथनानुसार केवल लेजर क्लर्क को जुम्मेदार करारकिया।

धारा 7:- यहकि ब्रांच पोस्टमास्टर महोदय ने सब रुपयाअपने हिसाब में नही दिखायाहै औरलेजर कीपर केवल वही धनराशि लेजर में चढ़ा सकता है जो हिसाब में दर्ज हो।

धारा8:- यहकि शपथकर्ता का दावा डिग्री होने के योग्य है क्योंकि उस पर कोई जुम्मेदारी कथित हानि की नही है। शपथकर्ता के वेतन से कोई कटौती प्रतिवादीगण नही कर सकते है।

विषय तस्दीक :-

मैं शपथकर्ता शपथपत्र कीधारा 1 ता 8 को अपने निजी ज्ञान से सत्य होना तस्दीक करताहूं।

मु0 तस्दीक कचेहरी दीवानी सीतापुर

दि0 तस्दीक :- 3.5.84 ई0

शपथकर्ता
टीकाराम

टीकाराम

मैं टीकाराम को जानता पहचानता हूं
मैं [illegible]
[illegible]
Rgd. No 14/84

१८०२

२८ ला० ३२२/८३

सर्टीफिकेट अन्दर नियम २० जून

सन १८८९ ई०

बअदालत श्रीमान मुन्सिफ [illegible] न्यायालय बनाम [illegible] नं० मुकदमा

वास्ते पेश करने सामने निश्चित करने वाले अधिकारों के और हिसाब करने के समय दिला पाने अपने मेहनताना मुकाबला [illegible] के अनुसार २० जून सन १८८१ ई० । इस लिखित पत्र के द्वारा मैं समर्थ करता हूं कि [illegible] वाला मैं निम्नलिखित धन मेहनताना निम्नलिखित तारीख पर निम्नलिखित व्यक्ति के द्वारा मुझको प्राप्त हुआ और मैंने या मेरी ओर से किसी ने कोई हिस्सा उल्लिखित मेहनताना मे वापस नही किया है । मास करने वाले का वादा नही किया है ।

मुकदमा	मेहनताना	ता० अदा	किसने अदा	पता व निशान उस व्यक्ति का जिसने मेहनताना स्वयम अदा किया हो
दीवानी मु. 322/83 [illegible] बनाम [illegible]	Rs 200/-	Default date	[illegible]	[illegible]

हस्ताक्षर [signature] Advocate

तारीख हस्ताक्षर 3/5/84

तारीख हस्ताक्षर

पता व निशान एडवोकेट या अटर्नी या प्लेडर

तारीख 3/5/84 सन ई० दाखिल किया वह मुकदमा जैसी कि सूरत हो दर्ज करो ।

[illegible] 322/83 [illegible]

वकालतनामा

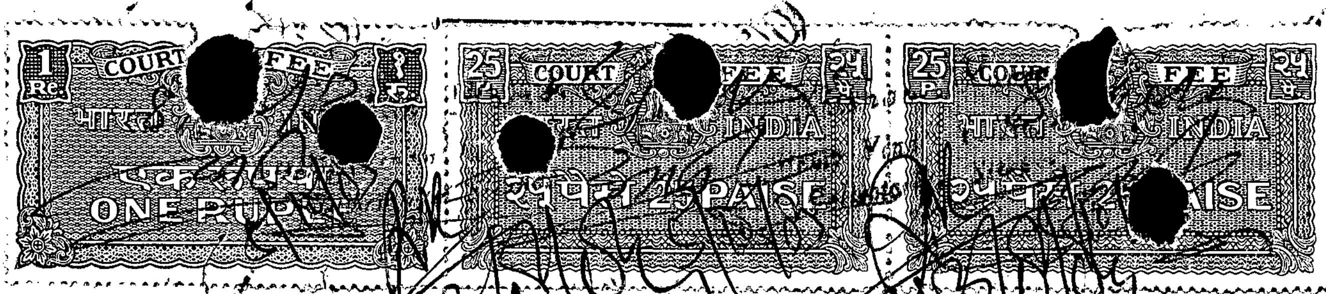

श्रीमान श्रीमान मुन्सिफ साहब सीतापुर

टीकाराम सरकार प्रतिवादी

बनाम

स्मृति टीकाराम पुत्र वैदनाथ प्रसाद मौजा [illegible]

उपरोक्त मुकदमें अपील व निगरानी में अपनी ओर से सीतापुर

श्रीमान प० राजेन्द्र दत्त [illegible]

वकील साहब को या जिन साहब को श्रीमान कौल साहब अपनी ओर से भेजें उनको अपना वकील नियत करके वचन देता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि उल्लिखित वकील साहब उपरोक्त मुकदमे व अपील व निगरानी में जो कुछ पैरवी या उत्तर प्रत्युत्तर करें या कोई कागजात सनद या सनदें इत्यादि पेश करें या वापस लें या हमारी ओर से इजराय डिग्री कराके वह रुपया जो हमें मिलने को है वसूल करे या राजीनामा मा एकबाल दावा हमारी ओर से करें या दाखिल कर या प्रतिवादी द्वारा दाखिल किया हुआ रुपया स्वयं अपने हस्ताक्षरों या हमारी दस्तखत की हुई रसीद द्वारा लेवे या किसी मुकदमे में पंच नियत करें यह सब मय हानि लाभ जो मिसिल मे कार्यवाई करेंगे हमे स्वीकार होगा और नियत मेहनताना न मिलने पर श्रीमान् वकील साहब को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त मुकदमे अपील या निगरानी की पैरवी न करें इसलिये यह वकालतनामा लिख दिया कि सनद हो और आवश्यक समय पर काम आये।

Accepted
RS [illegible]
5/7/83

अदालत का नाम
नं० मुकदमा
पक्षों का नाम

टीकाराम

हस्ताक्षर..................

गवाह .... गवाह ....

ता० 5/7/83 सन् १९ ई०

Court of Munsif Sealdah.

CS No. 322/83

Teeka Ram
vs
Union of India.

Application for furnishing copy of plaint etc.

Sir,

In the above noted case the defdt. have not been supplied with copy of the plaint and hence instructions could not be obtained.

It is, therefore, prayed that copy of plaint may kindly be furnished and time for filing objection may kindly be granted.

[signature]
Dfr. (1)
18.8.83

In the Court of Munsif Sitapur.

9205

C.S. No 322/83

Tika Ram - - - - - - Plaintiff.

V/s.

Union of India. - - - - - - Respondent.

Application for time for filing W/s.

Sir,

In the above noted case draft W/s has to be vetted by the Law Ministry of the Central Govt.

It is, therefore, prayed that two months further time may kindly be allowed for filing W/s and oblige.

Such long [illegible] should not be given
[illegible]
5/X/83

[illegible signature]
DSCO
5/X/83

In the Court of Munsif Sitapur. १८५१

C.S. No. 322/83.

Tika Ram . . . . . . Plaintiff

V/s.

Union of India . . . . . Defendant.

Application for filing written statement.

—x—

Sir,

The draft W/S in above cited case has been sent to the Law Ministry of Central Govt. for vetting which has not been received back as yet.

It is, therefore prayed that further time of two months may very kindly be allowed for filing W/S.

Granted time allowed

[signature]

5/11/83

[signature]

D.E.C. (C)

8.11.83

In the Court of Munsif Sitapur

CS No 322/83

Tika Ram

V/s

Union of India

Application for time for filing written Statement

Sir,

In ~~the~~ above noted case draft written Statement has been sent to Central law ministry for vetting and Sanction ~~of~~ contest which has not yet been received back.

It is therefore prayed respectfully that 2 months further time may kindly be granted for filing the written Statement.

Inspector of Post Offices
North Sub ...
Sitapur

Counsel for Defendants.

2-2-84.

[Margin note:] ... DSTapur 2/4/84

A-57

In the Court of Munsif, Sitapur
C.S No. 322/83

Tikarani

V/s

Union of India

Application for time for filing written statement

Sir

In the above noted case the draft written statement has been sent to law ministry of Union Govt for sanction of defence which has not yet been received back.

It is therefore respectfully prayed that 2 months further time may kindly be granted for filing written statement & oblige.

[signature]
27/3/84
S.G.C (C)

Strongly opposed, as [illegible] have been [illegible] number of adjournments [illegible] for this purpose
[signature]
27/3/84

A-58

एच० सीं० जें० फार्म नं० ६—१९६ प्रपत्र संख्या २५ [मूल्य–५ नया पैसा]

Munsif Sitapur न्यायालय की सेवा में

..............में अभिलेखों के साधारण निरीक्षण के आदेश के लिए प्रार्थना-पत्र

[अध्याय ९ नियम २३३]

प्रार्थी तथा उसके अभिकर्ता का नाम	मामले का विवरण	क्या सम्पूर्ण पत्रावली का निरीक्षण प्राप्त है अथवा किसी विशेष कागज या दस्तावेजों का	क्या प्रार्थी पक्षकार है अथवा उसका अभिकर्ता [ऐजेन्ट]	यदि प्रार्थी पक्षकार है अथवा उसका अभिकर्ता न हो तो किन कारणों से वह निरीक्षण चाहता है ।
१	२	३	४	५
Shri H.C. Asinani DGC (Civil)	C.S No 322/83 Lalla Ram ~~Rajpal~~ v/s Union of India (P&T) Decided on 8-5-84.	Full file	D.G.C. (Civil)	for Govt Purpose

दिनांक 21/8/84

अभिवक्ता अथवा वकील

Urgent

A-59

2245

न्याय शुल्क मु

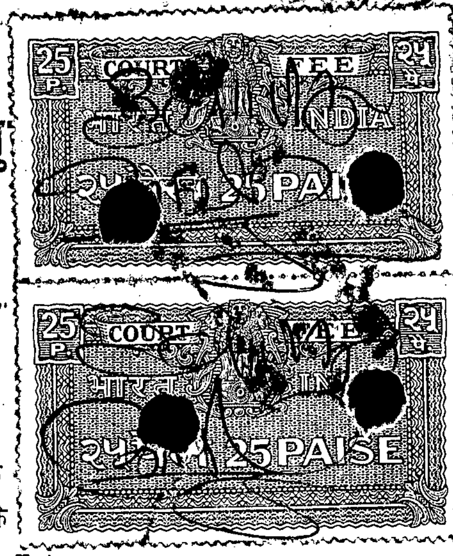

स्थान .... के ....

मुन्सरिम महोदय बनाम

लिखित सूची में जिन दस्तावेजों के नाम दिए हैं उनमें से प्रत्येक ... मुझे देने की कृपा करें, जिनके लिए मैं इनके साथ रुपया नया पैसा के ... यह प्रार्थना-पत्र साधारण / अविलंब है। मैं वाद में पक्षकार हूं / नही हूं।

वाद के रजिस्टर में दी गयी सँख्या तथा वर्ष	पक्षकारों के नाम	अन्तिमडिको अथवा आदेश का दिनाँक यदि पारित हुआ हो	उस दस्तावेज या कागज का विरण जिसकी प्रतिलिपि चाहिए	उद्देश्य जिसके लिये प्रतिलिपि चाहिए अथवा वह आधारित प्रार्थना पत्र स्वीकृत होने चाहिये
वाद दीवानी नं:- 322 सं 1983 श्रीमान मुनसिफ साहब सीतापुर	टीकाराम बनाम यूनियन आफ इन्डया	फैसला 8/5/84 दायरा 24/8/83	नकल हुक्म	निरीक्षण

दिनांक 25/5/84

प० राजेन्द्र दत्त आग्नेहोत्री

प्रत्येक प्रार्थना पत्र में जो कि डाक द्वारा भेजा जाय, प्रार्थी का हस्ताक्षर

१– प्रार्थना पत्र में पूरा देगा।

२– स्पष्ट रूप से लिखेगा कि क्या प्रतिलिपि लेने के लिए वह स्वयं उपस्थित होगा अथवा वह चाहता है। कि वह डाक द्वारा भेज दी जाय।

३– यह सम्यक रूप से टिकट लगा तथा पतलिया हुआ पोस्ट कार्ड भेजना जिसके द्वारा उसकी उसके प्रतिलिपि के लिये प्रार्थना-पत्र पर यदि कोई अतिरिक्त व्यय लगता हो तो उसकी सूचना दी जा सके तथा

४– इस दशा में जब कि कागज डाक द्वारा भेजे जाते हों, एक सम्यक रूप से टिकट लगा तथा जिला।

टिप्पणी– यदि अतिरिक्त व्यय नोटिस जारी होने के दिनाँक से १५ दिन के भीतर न दिया जाय तो प्रतिलिपि के प्रार्थना पत्र अस्वं कृति कर दिया जाय तथा पते लिखे हुए लिफाफे का उपयोग प्रार्थी को इसके प्रार्थना-पत्र को अस्वँ कृति के आदेश की सूचना देने में किया जायेगा।

पी० एस० यू० पी० ०-०१६० सी०-१९६१-ए-२००,००

A-60

माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ,इलाहाबाद खण्ड
जनपद सीतापुर।

वाद संख्या 452 (टी) सन 1986

टीकाराम बनाम यूनियन आफ इंडिया,आदि,

महोदयजी,

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखितउत्तर जो अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, के विरुध्द याची टीकाराम द्वारा प्रत्युउत्तर प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसे न्याय हित मे स्वीकार करना आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि नैसर्गिक न्याय के हित मे देरी को क्षमा करतेहुए वादी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युउत्तर स्वीकार करने की कृपा करें।

दिनांक:-
20/11/87

प्रार्थी

टीकाराम -वादी
जरिये अधिवकता- [signature] Adv

समक्ष, माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद खण्ड,

वाद संख्या - 452 (टी) वर्ष 1986ई0

जनपद- सीतापुर ।

टीकाराम ---------------- बनाम---------- यूनियन आफ इन्डिया, आदि ।

मे

प्रत्युत्तर याची टीकाराम की ओर से :---

1:-- यह कि प्रतिवादीगणों की ओर से प्रस्तुत लिखित उत्तर की धारा एक व दो के विषय मे अन्यथा कुछ भीनही कहना है मात्र इतना कि याची एक योग्य एवं कुशलतापूर्वक कार्यकरने वाला कर्मचारी है

2:--- यह कि [illegible] लिखित उत्तर की धारा तीन गलत तथ्यों पर आधारित है, अस्वीकार है। याची ने प्रतिवादी नं0 4 से सम्बन्धित बाउचरों, स्पेशल एरर बुक, एस वी स्लिप, वारण्ट आफ पेमेन्ट, लेजर कार्ड आदि दिखाने के लिए निवेदन 23-2-8[illegible] को किया था किन्तु प्रतिवादीनं0 4 ने वांछित सम्पूर्ण अभिलेख याची को अवलोकितनही कराया। ।प्रतिवादीसंख्या 4 ने केवल लेजर कार्ड एवं स्पेशल बुक का ही अवलोकन कराया। तदुपरान्त याची ने पुन: निवेदन किया तो प्रतिवादी ने अपने उत्तर दिनांक 24-5-83 को यह कहते हुए कि उपरोक्त अभिलेख सम्बन्धित नही है। याची को सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन कराने से इनकार करदिया, प्रतिवादीनं04 के इस प्रकार के कृत्य द्वारा याची को किसी भीप्रकार का युक्ति युक्त अवसर, स्पष्टीकरण

प्रस्तुत करने का नही दिया गया। साथ ही साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 §2§ मे प्रदत्त प्राविधानों का उल्लघन किया गया है। उक्त पत्रों की फोटो प्रतियां संलग्नक ।क, ।ख, के रूप मे प्रस्तुत किये जाते हैं।

3:-- यह कि लिखित उत्तर की धारा 4 अस्वीकार है।याची को उसके संवैधानिक अधिकारों की हत्या प्रतिवादी ने कियाहै और युक्ति संगत अवसर याची कोप्रदान नही किया और मनमाने ढंग से आदेश पारित किया , क्योंकि याची किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीहै।

4:-- यह कि लिखित उत्तरि की धारा 5 पूर्णतया अस्वीकार है। सक्षमप्राधिकारी प्रतिवादीनं0 4 बिना सम्पूर्ण प्रकारण को ध्यान मे रखो ,बिना अभिलेखों की जाँच किये बिना अभिलेखों को अवलोकित कराये ,और इनकार करदिये जाने से याची को अपने स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करनेके लिए बाध्य करने आदि कृत्यों के द्वारा अपने मनमाने ढंग से आदेश पारित किया है।

5:-- यह कि लिखित उत्तर की धारा 6 पूर्णतया अस्वीकार है। याची एक दिन के लिए उक्त स्थान पर ,तत्कालीन स्थायी क्लर्क के अवकाश चले जाने पर कार्य पर लगाया गया था । और पूर्ण निष्ठा ,ईमानदारी , कर्तव्यपरायणता से कार्य निष्पादित किया। गबन के लिए किसी भीप्रकार परोक्ष या अपरोक्ष रूप से याची उत्तरदायी नहीहै। गबन तो बहुतपहले ही हो चुका था। याची ने उस दिन लेजर कार्ड मैं पास बुकों के मांगने का स्पष्ट उल्लेख अंकित किया है। इसप्रकार किसीभीप्रकार अपने कर्तव्य पालन मैं कोई ढिलाई नही बरती है।

6:--- यह कि लिखित उत्तर की धारा 7 व 8 पूर्णतया अस्वीकार है याची एक ही दिन 1-9-76 के लिए उक्त स्थान पर कार्य हेतु भेजा गया और हर सम्भव उपाय उसने पास बुक लेजर कार्ड पर उल्लिखित कर कर्तव्य पालन किया। याची ने किसी भी प्रकार कर्तव्य पालन मे त्रुटि नही दिखायी।

7:-- यह कि लिखित उत्तर की धारा 9 मे स्वत: ही स्वीकार किया है कि याची ने पास बुक मांगी थी। याची के कर्तव्यच्यूत होने का कोई प्रश्न ही नही उठता है। और याची को उसकी अवधि के पूर्व के किये गये कार्यों के लिए उत्तरदायी नही माना जा सकता है।

8:--- यह कि यह लिखित उत्तर की धारा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, जिस प्रकार उल्लिखित है है अस्वीकार है।

9:--- यह कि गबन याची के कार्यकाल मे नही हुआ है चार्जशीट के अनुसार याची को 12-9-75 को 100/- दिनांक 19-11-75 को 160/-, दिनांक 24-6-76 को 100/-, तथा 31-8-76 को 50/- के गबन को पहले ही उद्‌घाटित किया जा सकता था यदि याची कार्यवाही करता। याची इन तिथियो को कभी भी उक्त सीट पर कार्य नही किया उसके लिए याची किसीभीप्रकार उतरदायी नही बनाया जा सकता है। जब लेजर कार्ड मे याची ने उल्लिखित किया और ए0पी0एम0 को भी हस्ताक्षर है। यदि प्रतिवादी याची को एस0बी0स्लिप दिखलाते तो स्पष्ट

दीनानाथ

होता कि हमने लिखा पढ़ी कि किया है याची । वारन्टआफ पेमेन्ट § विदड्रालवाउचर§ नही दिखाया। पास बुक नही दिखाया।

10-- यह कि जब कि उपरोक्त कथित गबन 1976-77 मे ही प्रकाश मे आ गया था औरयाची को 1983 में चार्जशीट दीगयी। इतने लम्बे अन्तराल तक चुप रहने का क्या कारण है? स्पष्टतः यह प्रमाणित होताहै कि याची चूंकि निर्बल वर्ग काहै उसके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार प्रतिवादीगण द्वारा कियागया। तत्कालीन सम्बन्धित एवं उत्तरदायी कर्मचारियों को बचाने के लिए ही इसप्रकार की अवैधानिक कार्यवाही याची के विरूद्ध कीगयी।

11--- यह कि सम्बन्धित पास बुक एवं गबन के सम्बन्ध में इनकवायरी हुयी थी और श्री शिवसागर लाल थानगांव के तत्कालीन शाखा डाकपाल को उत्तरदायी मानते हुए नौकरी से भी हटाया गया था।

मै प्रतिवादी टीकाराम प्रमाणित करता हूंकि मजमून प्रत्युउत्तर कीदफात 1लगायत 11 बइल्म जाती सही वसच्चहै और मैने अपना हस्ताक्षर प्रत्येउत्तर एवं इबारत तसदीक केनीचे इलाहाबाद मे बनाया।

टीकाराम

(65)

The SPOs
Sitapur Dn. Sitapur

Ref:- your office memo No. F-I/77-78 dt 17-3-83

Through - proper channel

Sir,
With reference to your office letter No. cited above I humbly request you that the following documents may kindly be shown to me so that I may be able to submit my difence against the charges.

1. Concerned vouchers.
2. Special Error Book
3. SB slip.

(Tika Ram)
P.A.
Sitapur HO.
23-2-83

टीकाराम

(66)

Regd

कोड०7/Corr.

भारतीय डाक-तार विभाग INDIAN P. & T. DEPARTMENT

कार्यालय/Office of the

अधीक्षक डाक विभाग
सीतापुर (अवध)–261001

REGISTERED

To,
Shri Teka Ram
P/A Sitapur HO.

No F-1/77-78 dated at STP the 24-5-83

Sub:- M/A of Govt money by Shri Sheo Sagar Lal ED BPM Thangaon Sitapur

Ref:- Your application dated 3-5-83

The documents desired to be seen by you are not relevant to the charges levelled against you. The relevant documents have already been shown to you. You are therefore asked to submit your written defence within 10 days from the receipt of this letter.

अधीक्षक डाक विभाग
सीतापुर (अवध)–261001

DGIPAD—608 P. & T./76—5-11-76—1,50,000 Pads.

टीकाराम

माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ,इलाहाबाद खण्ड
जनपद सीतापुर।

वाद संख्या 452 (टी) सन 1986

टीकाराम बनाम यूनियन आफ इंडिया,आदि,

महोदयजी,

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखितउत्तर जो अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, के विरुद्ध याची टीकाराम द्वारा प्रत्युउत्तर प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसे न्याय हित मे स्वीकार करना आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना हैकि नैसर्गिक न्याय के हित में देरी को क्षमा करतेहुए वादी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युउत्तर स्वीकार करने की कृपा करें।

दिनांक:- प्रार्थी

टीकाराम -वादी

जरिये अधिवकता-

समक्ष, माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद खण्ड ,

वाद संख्या - 452 (टी) वर्ष 1986ई0

<u>जनपद- सीतापुर ।</u>

टीकाराम ---------------- बनाम---------- यूनियन आफ इन्डिया, आदि ।

मे

प्रत्युत्तर याची टीकाराम की ओर से :---

1:--- यह कि प्रतिवादीगणों की ओर से प्रस्तुत लिखित उत्तर की धारा एक व दो के विषय मे अन्यथा कुछ भी नही कहना है मात्र इतना कि याची एक योग्य एवं कुशलतापूर्वक कार्यकरने वाला कर्मचारी है।

2:--- यह कि [illegible] लिखित उत्तर की धारा तीन गलत तथ्यों पर आधारित है, अस्वीकार है। याची ने प्रतिवादी नं0 4 से सम्बन्धित बाउचरों, स्पेशल एरर बुक, एस बी स्लिप ,वारण्ट आफ पेमेन्ट, लेजर कार्ड आदि दिखाने के लिए निवेदन 23-2-83 को किया था किन्तु प्रतिवादीनं0 4 ने वांछित सम्पूर्ण अभिलेख याची को अवलोकितनही कराया। ।प्रतिवादीसंख्या 4 ने केवल लेजर कार्ड एवं स्पेशल बुक का ही अवलोकन कराया। तदुपरान्त याची ने पुन: निवेदन किया तो प्रतिवादी ने अपने उत्तर दिनांक 24-5-83 को यह कहते हुए कि उपरोक्त अभिलेख सम्बन्धित नही है। याची को सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन कराने से इनकार करदिया ,प्रतिवादीनं04 के इस प्रकार के कृत्य द्वारा याची को किसी भीप्रकार का युक्ति युक्त अवसर, स्पष्टीकरण

B3

प्रस्तुत करने का नही दिया गया। साथ ही साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 §2§ मे प्रदत्त प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है। उक्त पत्रों की फोटो प्रतियाँ संलग्नक ।क. ।ख। के रूप मे प्रस्तुत किये जाते हैं।

3:-- यह कि लिखित उत्तर की धारा 4 अस्वीकार है।याची को उसके संवैधानिक अधिकारों की हत्या प्रतिवादी ने कियाहै और युक्ति संगत अवसर याची कोप्रदान नही किया और मनमाने ढंग से आदेश पारित किया, क्योंकि याची किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीहै।

4:-- यह कि लिखित उत्तर की धारा 5 पूर्णतया अस्वीकार है। अनुशासिकारी प्रतिवादीनं0 4 बिना सम्पूर्ण प्रकारण को ध्यान मे रखते ,बिना अभिलेखों की जाँच किये बिना अभिलेखों को अवलोकित कराये ,और इनकार करदिये जाने से याची को अपने स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करनेके लिए बाध्य करने आदि कृत्यों के द्वारा अपने मनमाने ढंग से आदेश पारित किया है।

5:-- यह कि लिखित उत्तर की धारा 6 पूर्णतया अस्वीकार है। याची एक दिन के लिए उक्त स्थान पर ,तत्कालीन स्थायी कर्ल्क के अवकाश चले जाने पर कार्य पर लगाया गया था । और पूर्ण निष्ठा ,ईमानदारी , कर्तव्यपरायणता से कार्य निष्पादित किया। गबन के लिए किसी भीप्रकार परोक्ष या अपरोक्ष रूप से याची उत्तरदायी नहीहै। गबन तो बहुतपहले ही हो चुका था। याची ने उस दिन लेजर कार्ड में पास बुकों के मांगने का स्पष्ट उल्लेख अंकित किया है। इसप्रकार किसीभीप्रकार अपने कर्तव्य पालन में कोई ढिलाई नही बरती है।

6:--- यह कि लिखित उत्तर की धारा 7 व 8 पूर्णतया अस्वीकार है याची एक ही दिन 1-9-76 के लिए उक्त स्थान पर कार्य हेतु भेजा गया और हर सम्भव उपाय उसने पास बुक लेजर कार्ड पर उल्लिखित कर कर्तव्य पालन किया। याची ने किसी भी प्रकार कर्तव्य पालन मे त्रुटि नही दिखायी ।

7:-- यह कि लिखित उत्तर की धारा 9 मे स्वतः ही स्वीकार किया है कि याची ने पास बुक मांगी थी। याची के कर्तव्यच्युत होने का कोई प्रश्न ही नही उठता है। और याची को उसकी अवधि के पूर्व के किये गये कार्यों के लिए उत्तरदायी नही माना जा सकता है।

8:--- यह कि यह लिखित उत्तर की धारा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, जिस प्रकार उल्लिखित है है अस्वीकार है।

9:--- यह कि गबन याची के कार्यकाल मे नही हुआ है चार्जशीट के अनुसार याची को 12-9-75 को 100/- दिनांक 19-11-75 को 160/- , दिनांक 24-6- 76 को 100/-, तथा 31-8-76 को 50/- के गबन को पहले ही उद्घाटित किया जा सकता था यदि याची कार्यवाही करता । याची इन तिथियों को कभी भी उक्त सीट पर कार्य नही किया उसके लिए याची किसीभीप्रकार उतरदायी नही बनाया जा सकता है। जब लेजर कार्ड मेयाची ने उल्लिखित किया और ए0पी0एम0 को भी हस्ताक्षरहै।यदि प्रतिवादी याची को ए0बी0स्लिप दिखलाते तो स्पष्ट

होता कि हमने लिखा पढ़ी क्रिxxx किया है यानी । वारन्टआफ पेमेन्ट (विदड्राल वाउचर) नहीं दिखाया। पास बुक नहीं दिखाया।

10--- यह कि जब कि उपरोक्त कथित गबन 1976-77 में ही प्रकाश में आ गया था और याची को 1983 में चार्जशीट दी गयी। इतने लम्बे अन्तराल तक चुप रहने का क्या कारण है? स्पष्टतः यह प्रमाणित होता है कि याची चूंकि निर्बल वर्ग का है उसके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार प्रतिवादीगण द्वारा कियागया। तत्कालीन सम्बन्धित एवं उत्तरदायी कर्मचारियों को बचाने के लिए ही इसप्रकार की अवैधानिक कार्यवाही याची के विरुद्ध कीगयी।

11--- यह कि सम्बन्धित पास बुक एवं गबन के सम्बन्ध में इन्क्वायरी हुयी थी और श्री शिवसागर लाल थामगांव के तत्कालीन शाखा डाकपाल को उत्तरदायी मानते हुए नौकरी से भी हटाया गया था।

मै प्रतिवादी टीकाराम प्रमाणित करता हूं कि मजमून प्रत्युत्तर कीदफात 1लगायत 11 बइल्म जाती सही व सच है और मैने अपना हस्ताक्षर प्रत्येउत्तर एवं इबारत तसदीक कैनीचे इलाहाबाद मे बनाया।

6

The SPOs
Sitapur Dn. Sitapur

—x—

Ref:— Your office memo No. F-I/77-78
dt 17-3-83

Through — proper ~~channel~~.

Sir, with reference to your office letter No. cited above I humbly request you that the following documents may very kindly be shown to me so that I may be able to submit my defence against the charges.

1. Concerned vouchers.
2. Special Error Book
3. SB slip.

(Tika Ram)
P.A.
Sitapur HO
23-2-83

Recd on 23/3/83

Regd

कोड०-7/Corr.

भारतीय डाक-तार विभाग INDIAN P. & T. DEPARTMENT

कार्यालय/Office of the

अधीक्षक डाक घर सीतापुर मंडल—261001

REGISTERED

To,
Shri Teka Ram
P/A Sitapur H.O.

No F-1/77-78 dated at STP the 24-5-83

Sub:- M/A of Govt money by Shri Sheo Sagar Lal ED BPM Thangaon (Sitapur)

Ref:- Your application dated 3/5/83

— ! ! —

The documents desired to be seen by you are not relevant to the charges levelled against you. The relevant documents have already been shown to you. You are therefore asked to submit your written defence within 10 days from the receipt of this letter.

अधीक्षक डाकघर
सीतापुर मंडल—261001

MGIPAN—608 P. & T./76—5-11-76—1,50,000 Pads.

COURT FEE 2 Rs भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
COURT FEE 2 Rs भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
COURT FEE 1 Re भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

(8)

~~हाईकोर्ट आफ जुडीकेचर, इलाहाबाद~~

Before ~~नं०~~ Central Administrative Tribunal All सन १६
Case # 452 of 86

TIKARAM वादी प्रतिवादी
अपीलान्ट

बनाम

UNION OF INDIA वादी प्रतिवादी
रेस्पान्डेन्ट

मैं/हम कि TIKARAM S/O Shri BAIJNATH PRASAD
R/o MOHALLA HEMPURWA SHAHJAHANPUR ROAD
SITAPUR

उपरोक्त प्रकरण में हम अपनी ओर के पक्ष समर्थन के हेतु

श्री G. P. Madan
V. S. CHAURASIYA —एडवोकेट हाईकोर्ट, इलाहाबाद

हस्ताक्षर Tikaram
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
साक्षी
साक्षी

को कानूनो निश्चित शुल्क (मेहनताना) नियत करके अपना अभिभाषक वकील (वकील) निश्चत करता हूं/करते हैं। वह स्वीकार करता है/करते हैं कि उक्त सज्जन हमारी ओर से वाद-पत्र (अर्जीदावा) प्रतिवाद-पत्र (बयान तहरीरी), वाद स्वीकार पत्र, विवाद-पत्र पुनरवोकन एवं पुनर्निर्णय प्रार्थना पत्र (दरख्वास्त' शापथिक कथन (हलफनामा) प्रवतन पत्र (दरख्वास्त इजराय) मूजबात अपील निगरानी इत्यादि हर प्रकार के अन्य प्रार्थना पत्रादि एवं लेखादि की प्रतिलिपियाँ अपने हस्ताक्षर करके न्यायालय में प्रस्तुत करें अथवा किसी पत्र पर आवश्यकतानुसार शापथिक पुश्टीकरण करें और आवश्यक सवाल जवाब करें लेखादि की प्रतिलिपियां एवं हमारे प्राप्यधन को अपने हस्ताक्षरी बाबतो देकर प्राप्त करें हमारी ओर से किसी को यद्य पत्र तथा साक्षी (गवाह) माने और उससे सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें तथा उसका समर्थन करें तथा तसदीक करें, वाद-पत्र उठावे, छोड़े अथवा समझौता करें तथा सुलहनामा दाखिल करें तथा उसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पर दाखिल करके उसका समर्थन करे अर्थात प्रकरण से सम्बन्ध रखने वाली कुल कार्यवाही डिग्री भर पाई होने के समय तक स्वतः या संयुक्त करे। आवश्यकता होने पर किसी अन्य वकील महोदय को वकील करे। उक्त सभी कार्यवाही जो उक्त सज्जन करेंगे प्रत्येक दशा में अपने किये की भांति हमको मुझको स्वंथा स्वीकार होगी अगर मैं/हम कानूनी निश्चित शुल्क उक्त सज्जन को न दूं/दें तो उनका अधिकार होगा कि वह हमारी ओर से मुकदमा को पैरवी न करें। उपरोक्त दशा में सज्जन का कोई उत्तरदायित्व न रहेगा।

अतएव यह अभिभाषक-पत्र लिख दिया कि प्रमाण रूप से समय पर काम आये।

वकालतनामा मन्जूर है

तिथि माह सं०

न्यायालय माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायिधकरण ,इलाहाबाद
बेंच इलाहाबाद।

नम्बर वाद 452 / 1986 (टी)

टीकाराम बनाम यूनियन आफ इन्डिया

महोदय जी,

विनम्रता पूर्वक निम्नलिखित निवेदन है :--

1:- यह कि याची ने एक वाद न्यायालय मुन्सिफ महोदय सीतापुर मे प्रस्तुत किया था जो माननीय उपरोक्त न्यायाधिकरण के समक्ष इस समय सुनवाई केलिए विचाराधीन है।

2:- यह कि मूलवाद (याचिका) मे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उल्लिखित किये जाना अति आवश्यक था जिसको संसोधन प्रार्थना पत्र के माध्यम से संसोधित करने की अति आवश्यकता है। यदि उपरोक्त याचिका मे महत्वपूर्ण तथ्य जो संसोधित किया जाना है यदिनही किया गया तो उससे न्याय मे प्रभाव पड़ेगा। क्योकि उसी आधार पर न्याय मे सुविधा होगी।

3:- यह कि संसोधनप्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए दो हफ्ते का समय प्रदान किया जाना अति वांछनीय एवं न्यायोचित है। और यदि ऐसा अवसर नही प्रदान किया गया तो याची की अपूर्णनीय क्षति होगी और न्याय भी प्रभावित होगा।

अतः प्रार्थना है कि मूल याचिका मे महत्वपूर्णतिथ्यों को संसोधित कर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने हेतु दो हफ्ते का समय दियेा जाने की कृपा करें।

प्रार्थी याची

दिनांक- 26-10-87

जरिये अधिवक्ता गुरू प्रसाद मदन एडवोकेट

(10)

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
ALLAHABAD BENCH
23-A, Thornhill Road, Allahabad 211 001

No. CAT/Alld/ 7023-7027 Dated ____________

In re

Registration No. 452 of 1986. (T)

Tika Ram ____________ APPLICANT

Versus

Union of India ____________ RESPONDENTS

To
1. Tika Ram S/o Baij Nath Pd. R/o Hempurwa, Par + Tah + Distt. Sitapur
2. Union of India C/o Secretary Communication Deptt. N. Delhi
3 - Post Master General, U.P. Circle. Lucknow
4 - Director. Postal Services, Lucknow
5 - Supdt. of Post officers Sitapur Division, Sitapur

WHEREAS the marginally noted case has been transferred by Munsif Sitapur ____________ under the provisions of the Administrative Tribunals Act (No. 13 of 1985) and registered in this Tribunal as above.

C.S. No. 332 of 1983
of the Court of Munsif Sitapur
arising out of the order dated ____________
passed by ____________
in ____________

The Tribunal has fixed the date of 5-9-1986 for the hearing of the matter.

If no appearance is made on your behalf by yourself, your pleader or by someone duly authorised to act and plead on your behalf, the matter will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal this 18th day of Aug 198 .

DEPUTY REGISTRAR

9/e

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
ALLAHABAD BENCH
23-A, Thornhill Road, Allahabad 211 001

No. CAT/Alld/ 6960 to 6964 Dated 20-11-86

In re

Registration No. of 198 (T)

APPLICANT

Versus

RESPONDENTS

To

WHEREAS the marginally noted case has been transferred by ______ under the provisions of the Administrative Tribunals Act (No. 13 of 1985) and registered in this Tribunal as above.

No. of 19 of the Court of arising out of the order dated passed by in	The Tribunal has fixed the date of ______ 198 ______ for the hearing of the matter. If no appearance is made on your behalf by yourself, your pleader or by someone duly authorised to act and plead on your behalf, the matter will be heard

and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal this ______ day of ______ 198 .

DEPUTY REGISTRAR

(12) (10)

न्यायालय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण इलाहाबाद
न्याय पीठ इलाहाबाद

न०मु० 452 सन् 1986 (T) सीतापुर

टीकाराम बनाम यूनियन आफ इण्डिया आदि

महोदय जी

मुकदमा उपरोक्त में निवेदन है कि दिनांक 4/11/86 को मेरा स्कूटर दुर्घटना में फ्रेक्चर हो गया है जिससे प्लास्टर बंधा है और मैं न्यायालय में उपस्थित हो कर वाद की पैरवी करने में असमर्थ हूँ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुकदमा उपरोक्त में आज की तिथि स्थगित करते हुए कोई अन्य तिथि सुनवाई के लिये नियत करने की कृपा करें।

प्रार्थी
[signature]
12/12/86

सेवा में

निबंधक,
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण,
इलाहाबाद खण्ड,
इलाहाबाद

महोदय जी,

विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि मैं स्कूटर दुर्घटना में पीड़ित हो गया था और जिस कारण माननीय प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ रहा हूँ।

आगामी अग्रिम [illegible] के लिये मैं कुछ [illegible] होने से और भी उपस्थित होने में असमर्थ हूँगा।

कृपया, नियत [illegible] सुनवाई न करने की कृपा की जावे।

भवदीय
[illegible]
एडवोकेट
4/5/87
(अधिवक्ता प्रार्थी)

विवरण -

In Court No. 2
case No. 452/86 (T)
टीकाराम बनाम यूनियन आफ इण्डिया
जनपद सीतापुर
पेशी तिथि 5/5/87

S.O. [illegible]
4/5/87

(14)

न्यायालय माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण,
इलाहाबाद खण्डपीठ, जनपद सीतापुर

✓ (i) वाद सं. 452 सन् 1986 (T)
टीकाराम बनाम यूनियन आफ इंडिया आदि

✓ (ii) वाद सं. 457 सन् 1986 (T)
रजपाल बनाम यूनियन आफ इंडिया आदि

महोदय जी

उपरोक्त वादों में मैं वादीगण का अधिवक्ता हूं किन्तु अस्वस्थ होने के कारण माननीय न्यायालय में आज उपस्थित होने में असमर्थ हूं।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मेरी अस्वस्थता को देखते हुए उपरोक्त वादों में कोई अन्य तिथि सुनवाई हेतु नियत करने की कृपा करें।

प्रार्थी
(गुरु प्रसाद मदन)
एडवो.
25/4/88

5 (3) (15)

माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद खण्ड

जनपद सीतापुर

वाद संख्या 452(T) सन 1986

टीका राम बनाम यूनियन आफ इंडिया आदि

महोदय जी,

मुकदमा उपरोक्त में निवेदन है कि आज मेरे वकील साहब के घर में शादी पड़ जाने के कारण माननीय न्यायालय में उपस्थित हो सकने में असमर्थ हैं।

अतः प्रार्थना है कि मुकदमें की आज की सुनवाई स्थगित करते हुए कोई भी एक माह कि तिथि नियत किये जाने की कृपा करें।

प्रार्थी -

दिनांक : 9-2-88

टिकाराम

जरिये अधिवक्ता -

(signature) Madan

Send the 28

(B/16)

Before the Central Administrative ~~Tribunal~~, Allahabad

Regd No 452/86 (T)

Tika Ram Vs Union of India and others

Sir,

In the above noted case it is submitted that I have came to the Hon'ble Court but suddenly due to pain (Stomach pain) I am ~~unable to~~ going for treatment; So I am unable to appear in the case at the time of hearing.

It is, therefore, humbly prayed that this Hon'ble Court may kindly adjourn the case for an other date.

[signature] Sd

Counsel for petitioner

3/8/88

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

No.CAT/LKO Judl/ 4569/90

Dated : 18/3/93

Registration No. T.A. 115/92 (TA) in T.A. 452/86 (D.S. 332/83) Sitapur

Tika Ram - - - - - - - - - - - - - - - - - -Applicant

V E R S U S

Union of India & others - - - - - - - Respondents

(1) Tika Ram s/o Sri Vaij Nath Resident of - Haimarpurwa Tehsil & Distt - Sitapur.

(2) Sri K. C. Sinha, Advocate, Bar Association, C.A.T, 23-A Thorn hill Road, Allahabad.

"Issue notice for 17-4-93"

Please take notice that the applicant above named has presented an application a copy of ______ thereof is enclosed herewith which has been registered in this Tribunal has fixed ______ day of ______ show-cause as to why the petition be not admitted. Counter may be filed within ______ weeks. Rejoinder, if any, to be filed within ______ weeks thereafter.

If, no appearance is made on your behalf, you pleader of by some on duly authorised to Act and plead on your behalf in the said application, it will be heard and decided in your absence. Given my hand and the seal of the Tribunal this 23rd day of Feb 93 199 .

For Dy. Registrar
23/2/93

O/C

(m.m.)

C/2

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.
Opp. Residency, Gandhi Bhavan, Lucknow.

1196 to 1197

NO-CAT/CB/LKO/Judl/ T.A. 115/92 T.L. in T.A. 452/86(T) Date : 11/5

REGISTRATION NO ________ OF ~~1991/93(L)~~

Tika Ram Applicant

VERSUS

U O I & others Respondents.

(1) Sri G. P. Madan, Advocate, C.A.T. B.A.R. Association, 23-A, Thornhill Road, Allahabad

(2) Sri K. C. Sinha, Adv. C.A.T., 23-A, Thornhill Road, Allahabad.

Please take notice that the applicant abovenamed has presented an application . . . . ___ thereof is enclosed ~~herewith which~~ has been registered in this Tribunal and the Tribunal has fixed ___ 2 ___ day of July, 92 for hearing.

If, no appearanance is made on your behalf, your pleader of by some one duly authorised to Act and plead on your behalf in the said application it will be heard and decided in your absence. Given my hand and the seal of the Tribunal this ___ 11 ___ day of 5 ___ 1992.

FOR DEPUTY REGISTRAR
O/C

M.P.

बअदालत श्रीमान Central Administrative Tribunal at Allahabad Lucknow Bench महोदय

वादी (मुद्दई) / मुद्दई (मुद्दालेह) का

वकालतनामा

Tika Ram — वादी/अपीलकर्त्ता

vs — बनाम

U. O. I. — प्रतिवादी/रेस्पान्डेन्ट

OA No 452/86 (L)

न० मुकद्दमा सन १९

ऊपर लिखे मुकद्दमें में अपनी ओर से श्री ~~वी० के० चौधरी~~ Dr. Dinesh Chandra, एडवोकेट, हाईकोर्ट ~~१४/६२६ बेरफखाना, नई बस्ती,~~ उदयगंज, लखनऊ
~~टेलीफोन नं० २३४६८६,~~
चै० नं० ५, हाई कोर्ट-टेलीफोन २४०६०७

को अपना वकील नियुक्त करके [इकरार] करता हूँ और लिखे देता हूँ इस मुकद्दमा में वकील महोदय स्वयं अथवा अन्य वकील द्वारा जो कुछ पैरवी व जवाबदेही व प्रश्नोत्तर करें या अन्य कोई कागज दाखिल करें या लौटावें या हमारी ओर से डिक्री जारी करावें और रुपया वसूल करें या सुलहनामा या इकबाल दावा तथा अपील व निगरानी हमारी ओर से हमारे या अपने हस्ताक्षर से दाखिल करें और तस्दीक करें या मुकद्दमा उठावें या कोई रुपया जमा करें या हमारी या विपक्ष [फरीकसानी] का दाखिल किया रुपया अपने या हमारे हस्ताक्षर - युक्त (दस्तखती) रसीद से लेवें या पंच नियुक्त करें वकील महोदय द्वारा की गई वह कार्यवाही हमको सर्वथा स्वीकार है और होगी। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि मैं हर पेशी पर स्वयं या किसी अपने पैरोकार को भेजता रहूँगा। अगर मुकद्दमा अदम पैरवी में एकतरफा मेरे खिलाफ फैसला हो जाता है उसकी जिम्मेदारी मेरे वकील पर न होगी। इसलिए यह वकालतनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

स्वीकृत

Dr. Dinesh Chandra
(~~वी० के० चौधरी~~)
एडवोकेट

हस्ताक्षर टीकाराम
~~अधीक्षक डाकघर सीतापुर मण्डल~~
~~SUPDT. OF POST OFFICES SITAPUR DN.~~
सीतापुर - 261001
SITAPUR-261001

साक्षी [गवाह] ______ साक्षी [गवाह] ______

दिनांक ______ महीना ______ सन् १९ ई०